



उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 22 फाल्गुन, शक संवत्, 1936

(दिनांक : 13 मार्च, 2015)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिए नत्थी "क")।
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी "ख")
3. निधन के निदेश।
4. पंचायती राज मंत्री, उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2015 को सदन के पटल पर रखेंगे।
5. सहकारिता मंत्री, उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2015 को सदन के पटल पर रखेंगे।
6. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-
 - (1) भारतीय रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 09 सितम्बर, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का चौबीसवां अधिनियम बन गया।
 - (2) उत्तराखण्ड विनियोग (2014-2015 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।
 - (3) उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।
 - (4) उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का सत्ताइसवां अधिनियम बन गया।

- (5) उत्तराखण्ड लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का अट्ठाईसवां अधिनियम बन गया।
 - (6) उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का पहला अधिनियम बन गया।
 - (7) उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का दूसरा अधिनियम बन गया।
 - (8) उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का तीसरा अधिनियम बन गया।
 - (9) उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 जनवरी, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का चौथा अधिनियम बन गया।
 - (10) मदनगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 जनवरी, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का पांचवां अधिनियम बन गया।
 - (11) उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 जनवरी, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का छठा अधिनियम बन गया।
7. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
 8. श्री चन्द्र शेखर, सदस्य, विधान सभा, “जनपद हरिद्वार के ग्राम पंचायत मीरपुर मुवाजरपुर विकास खण्ड बहादुराबाद की क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में” श्री राजेन्द्र चौहान, निवासी ग्राम मीरपुर, पो0 गढमीरपुर, विकास खण्ड बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
 9. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा, “जनपद देहरादून कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम के वार्ड 57 गोविन्दगढ़ क्षेत्र से गुजर रही बिन्दाल नदी के किनारे सुरक्षा दीवार बनाये जाने के सम्बन्ध में” श्री मेहर सिंह, 66 आजाद कालोनी गोविन्दगढ़, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा, “जनपद देहरादून कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम के वार्ड 57 गोविन्दगढ़ क्षेत्र से गुजर रही हाईटेशन लाईन को अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में” श्री मेहर सिंह 66 आजाद कालोनी गोविन्दगढ़, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
11. श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा, “जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्राम सभा नौसर के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में” श्री अनिल निवासी ग्राम सभा नौसर, पो0 खटीमा, विकास खण्ड खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
12. श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा, “जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा के ऊंची बगुलिया खालीमहुवट, अमाऊ, खटीमा की विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में” श्रीमती कुसुम देवी, निवासी ग्राम सभा ऊंची बगुलिया, पो0 खालीमहुवट, विकास खण्ड खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
13. श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा, “जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा के ग्राम गांगी, बिरिया मझोला की लो बोल्टेज की समस्या के समाधान किये जाने के सम्बन्ध में” श्री नवीन सिंह कन्याल, निवासी ग्राम सभा गांगी, पो0 बिरिया मझोला, विकास खण्ड खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
14. श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा, “जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा के ग्राम दिया, बिरिया, मझोला में एक 63 के0वी0 विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में” श्री नवीन सिंह कन्याल, निवासी ग्राम सभा गांगी, पो0 बिरिया मझोला, विकास खण्ड खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
15. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, “जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड न0 6 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में” श्रीमती नूरजहां निवासी ग्राम पंचायत जीवनगढ़ वार्ड न0 6 व पो0 अम्बाड़ी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
16. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, “जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़, वार्ड न0-5 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में” श्री रियासत अली निवासी ग्राम पंचायत जीवनगढ़, वार्ड न0-5 व पो0 अम्बाड़ी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

- [illegible]

25. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, “जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत छरबा में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में” श्री रुसतम निवासी ग्राम पंचायत छरबा, पो0ओ0 सहसपुर, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
26. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, “जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरबर्टपुर के वार्ड न0 1 में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में” श्री कमल, निवासी ग्राम पंचायत हरबर्टपुर वार्ड0 न0 1, पो0ओ0 हरबर्टपुर, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
27. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, “जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बड़वा में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में” श्री हरिहरण, निवासी ग्राम पंचायत बड़वा, पो0ओ0 बड़वा, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
28. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
29. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
30. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
31. खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री, उत्तराखण्ड खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
32. खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री, उत्तराखण्ड खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।
33. पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
34. पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।
35. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
36. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।
37. पंचायती राज मंत्री, उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
38. पंचायती राज मंत्री, उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।

39. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
40. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।
41. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
42. श्री नवप्रभात, सदस्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण चर्चा एवं पारण:-

“यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है”

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य विधान सभा उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी “ग”)

43. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

देहरादून :
दिनांक : 12 मार्च, 2015

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।



प्रथम सत्र, 2015
का प्रथम शुक्रवार

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 22 फाल्गुन, शक संवत्, 1936

(दिनांक : 13 मार्च, 2015)

नत्थी "क"

अल्पसूचित प्रश्न

श्री मदन कौशिक
03.03.2015

****क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के प्रत्येक जनपद में प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में शिक्षकों एवं छात्रों का जिलेवार अनुपात क्या है ? यदि अनुपात समान नहीं है तो समान करने हेतु क्या सरकार द्वारा कोई नीति बनायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?**

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

- श्री हरबंस कपूर
18.02.2015
- *01. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून महानगर में शहरी विकास कुल कितनी मलिन बस्तियां हैं ? क्या सरकार इन बस्तियों को नियमितीकरण करने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?
- श्री नवप्रभात
19.02.2015
- श्री हरबंस कपूर
18.02..2015
- *02. द्वितीय शुक्रवार के तारा0 07 में स्थाना0 शहरी विकास
क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून की बढ़ती जनसंख्या और वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए क्या सरकार मौनो रेल या यातायात के ऐसे ही किसी वैकल्पिक माध्यम पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?
- श्री हरबंस कपूर
18.02..2015
- *03. तृतीय सोमवार के तारा0 10 में स्थाना0 शहरी विकास
क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत बल्लीवाला चौक एवं बल्लूपुर चौक पर फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य गतिमान है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व अधिग्रहण, केन्द्र सरकार की स्वीकृति तथा प्रभावित व्यवसाइयों के पुनर्वास आदि की समुचित व्यवस्था कर ली गई थी ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?
- श्री राजकुमार
दुकराल
18.02..2015
- *04. क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र 66 रुद्रपुर में शहरी विकास किच्छा रोड पर शमशानघाट के सामने वर्षों से शहर का कूड़ा डाला जा रहा है जिस कारण स्थिति भयावह हो गई है तथा कई बार प्रशासन को इस संबंध में सूचित किये जाने के उपरान्त भी ट्रेचिंग ग्राउण्ड को लेकर कोई भी ठोस नीति सामने नहीं आ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ट्रेचिंग ग्राउण्ड बनाने हेतु कोई योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री राजकुमार
दुकराल
18.02..2015
- *05. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में ट्रांसपोर्ट शहरी विकास नगर न होने के वजह से जगह जगह ट्रक व ट्राले खड़े रहते हैं जिससे शहर में जाम व दुर्घटना आये दिन होती रहती है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिला मुख्यालय में पर्याप्त भूमि होने के पश्चात भी ट्रांसपोर्ट नगर (यातायात) की स्थापना न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार जनहित में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश जोशी
19.02.2015
श्रीमती विजय
बड़थवाल
19.02.2015

*06. क्या सेवायोजन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के सेवायोजन कार्यालयों में दर्ज शिक्षित बेरोजगारों को राज्य 09 नवम्बर 2012 से प्रवृत्त रोजगार सह कौशल विकास भत्ता दिया जाना था तथा जिसमें प्रत्येक बेरोजगार को प्रतिमाह भत्ता दिये जाने की बात कही गई थी ? यदि हां, तो क्या मा० मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजना के प्रारम्भ होने के बाद अब तक जनपदवार कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार सह कौशल विकास भत्ता प्रदान किया जा चुका है ? क्या मंत्री जी मसूरी विधान सभा क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों की सूची भी उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सेवायोजन

श्री गणेश जोशी
19.02.2015

*07. क्या सेवायोजन मंत्री अवगत हैं कि राज्य में बेरोजगारों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य के उच्च शिक्षित बेरोजगारों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित कर रोजगार मेले का आयोजन कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सेवायोजन

श्री नवप्रभात
19.02.2015

*08. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार कुम्भ मेला 2010 में स्थायी सम्पत्ति सृजन के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुम्भ मेला प्रारम्भ होने से पूर्व रुपये 15822.27 के कार्य अपूर्ण रह जाने के क्या कारण थे ? क्या सरकार द्वारा कार्य पूर्ण न होने के लिए जिम्मेदार विभागों एवं अधिकारियों का चिन्हीकरण किया गया ? यदि हां, तो प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गयी ?

शहरी विकास

श्री नवप्रभात
19.02.2015

*09. पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त एवं मा० सदस्य का नाम तारा० प्रश्न सं० 01 में जोड़ दिया गया है।

शहरी विकास

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश में मलिन बस्ती विनियमितीकरण का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या नीति निर्धारित की गयी है ?

श्री राजकुमार
दुकुराल
19.02.2015

*10. तृतीय सोमवार के तारा० 18 में स्थाना० ।

शहरी विकास

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र 66 रुद्रपुर में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर रोडवेज के सामने किच्छा बाईपास रोड पर दुकानों को तोड़ा जा रहा है जिससे इन दुकानदारों एवं उनके परिवारों की जीविका पर खतरा पैदा हो गया है ? क्या सरकार उक्त दुकानदारों को पुनः स्थापित करने एवं रोजगार प्रदान करने हेतु नये स्थान प्रदान करने के लिए कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या तथा कब तक योजना तैयार हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट
19.02.2015

*11. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कितने डा० कार्यरत हैं तथा कहां कहां नियुक्त हैं तथा यदि कमी है तो इसके क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि डाक्टरों के उपलब्ध होते हुए भी (डी०डी०पावर) आहरण-वितरण का अधिकार फार्मासिस्टों को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और कब से यह व्यवस्था चल रही है ? मा० मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि ई०एस०आई० की दवायें क्रय करने में टैन्डर प्रक्रिया अपनायी जाती है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रम

श्री हीरा सिंह बिष्ट
19.02.2015

*12. द्वितीय शुक्रवार के तारा 06 में स्थाना 0।

शहरी विकास

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कितने गांव सम्मिलित हैं तथा कितने मामलों में भू परिवर्तित करते हुए कृषि भूमि को आवासीय में परिवर्तित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि गत 5 वर्ष में प्राधिकरण की कितनी आय हुई है ? प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के कितने गांव में विकास के कार्य किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक
19.02.2015

*13. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार नगर निगम में सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की योजना कब स्वीकृत की गई थी ? क्या उक्त योजना पर कार्य पूर्ण रूप से प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अनुबन्ध की शर्तों में बदलाओं की कार्यवाही नगर निगम स्तर से की जा रही है ? यदि हां, तो उसकी आवश्यकता क्या है ?

शहरी विकास

श्री मदन कौशिक
19.02.2015

*14. क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में वेज बोर्ड के नियम अनुसार निजी क्षेत्रों की चीनी मिलों द्वारा वेतन लागू नहीं करने के कारण कर्मचारियों द्वारा विभिन्न चीनी मिल में हड़ताल की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा वेज बोर्ड के अनुसार वेतन तत्काल दिलाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं
सेवायोजन

श्री मदन कौशिक
19.02.2015

*15. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के विभिन्न शहरों में ए0डी0बी0/जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत पानी की लाईन डाली गयी थी ? यदि हां, तो क्या ए0डी0बी0/जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के द्वारा पानी की लाईन डालने का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कुल कितने किलोमीटर लाईन डाली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि पानी की लाईन डालने के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास

श्री नवप्रभात
19.02.2015

*16. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 2193/वी0-आ0/06-25(आ0)/2005 टी0सी0 दिनांक 22 अक्टूबर, 2007 से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र की कुल कितनी भूमि आच्छादित हुयी थी तथा इस भूमि का ग्रामवार क्षेत्रफल कितना है ? क्या इस भूमि में से किसी भूमि का भू-उपयोग शासनादेश के बाद परिवर्तित किया गया या परिवर्तन प्रस्तावित किया गया ? यदि हां, तो जिन भूमियों का भू-उपयोग परिवर्तित या परिवर्तन प्रस्तावित किया गया, उनका विवरण क्या है ?

आवास

श्री पूरण सिंह
फर्त्याल
21.02.2015

*17. तृतीय सोमवार के तारा0 16 में स्थाना0।

आवास

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अटल आवास योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा कुल कितने भवनों का निर्माण कराया गया है एवं पात्र लाभार्थियों को आवास योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की जा रही है ? क्या सरकार उक्त योजनान्तर्गत आवासों की संख्या एवं आवास निर्माण हेतु देय धनराशि को बढ़ाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पुष्कर सिंह
धामी
24.02.2015

*18. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत सरकार द्वारा बरसात के दिनों में खटीमा शहर के भीतर एवं बाहर चारों ओर से होने वाले जल भराव के निजात हेतु कोई कार्य योजना तैयार की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक शहरवासियों को इस समस्या से निजात मिल जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास

श्री पुष्कर सिंह
धामी
25.02.2015

*19. तृतीय सोमवार के तारा0 17 में स्थाना0।

शहरी विकास

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में ए0डी0बी0 के अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़कों का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कौन सी तथा कहां से कहां तक की सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण हैं एवं कब तक उक्त सड़क कार्य पूर्ण हो जायेंगी ?

अतारांकित प्रश्न

श्री गणेश जोशी
18.02.2015

1. प्रथम गुरुवार के अता0 44 में स्थाना0।

शहरी विकास

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी विधानसभा क्षेत्र के गढी कैंट में छावनी परिषद के अनुरोध पर सीवर लाइन का सर्वे किया गया है तथा सीवर लाइन बिछाने के लिए 40 करोड़ डीपीआर बना कर छावनी परिषद देहरादून को दी गई है ? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि गढी कैंट क्षेत्र में सीवर लाइन के निर्माण हेतु राज्य सरकार, योजना में धनराशि व्यय करेगी ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकुमार
दुकराल
18.02.2015

2. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि रुद्रपुर विधान सभा के जिला मुख्यालय में आबादी बढ़ने के उपरान्त आम नागरिकों के घूमने फिरने व बच्चों के खेलने हेतु आधुनिक पार्क का नितान्त अभाव है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय पर रूपरेखा तैयार कर कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास

श्री दलीप सिंह
रावत
18.02.2015

3. क्या औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग के द्वारा की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण क्या है ? क्या जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गैणखाल विकासखण्ड यमकेश्वर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भवन का पूर्ण निर्माण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्या विभाग इस वर्ष भवन निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक
प्रशिक्षण

श्री राजकुमार
तुकराल
19.02.2015

4. प्रथम गुरुवार के अता0 43 में स्थाना0।

शहरी विकास

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के अन्तर्गत जिला मुख्यालय रुद्रपुर में पानी की निकासी एवं सीवर लाईन की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो सीवर लाईन की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

श्रीमती अमृता
रावत
19.02.2015

5. क्या पशुपालन मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय तथा पशु सेवा केन्द्रों में कार्मिकों की तैनाती करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक 295/विधायक/5-पशुपालन/2014-15 दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 के उत्तर में आपके पत्रांक 3030/वी0आई0पी0/14 दिनांक 27.12.2014 के द्वारा उक्त संदर्भित पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक, पशुपालन विभाग, देहरादून को प्रेषित किये जाने की जानकारी दी गयी है ? यदि हां, तो निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा आपके निर्देशों के अनुपालन हेतु की गई कार्यवाही और उसके परिणाम क्या हैं तथा कब तक रिक्त पदों पर कार्मिकों की तैनाती किए जाने की संभावना है ? क्या पशुपालन मंत्री यह भी अवगत करायेंगे कि विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत कार्मिकों के स्वीकृत/कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण क्या है तथा ये पद कब कब से रिक्त चले आ रहे हैं ?

पशुपालन

श्री राजकुमार
तुकराल
20.02.2015

6. क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर नगर निगम के विस्तार के संबंध में जिलाधिकारी उधमसिंहनगर द्वारा दिनांक 20.12.2012 को उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित पत्र संख्या 2002/2/23-स्था0नि0/2012 के अनुसार नगर पालिका परिषद, रुद्रपुर से नगर निगम का विस्तार संबंधी प्रस्ताव देहरादून भेजा गया था किन्तु सरकार द्वारा मात्र छोटी सी नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दे दिया है जिससे रुद्रपुर के निकट की कालोनियां जो वर्षों से उपेक्षा का दंश झेल रही हैं वंचित रह गई हैं ? क्या सरकार उपेक्षित निकटवर्ती कालोनियों व ग्रामों को नगर निगम में शामिल करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास

श्री पूरण सिंह
फर्त्याल
21.02.2015

7. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि नगर पंचायत लोहाघाट, जनपद चम्पावत को नगर पालिका बनाये जाने की मांग जनता द्वारा विगत लम्बे समय से की जा रही है ? क्या सरकार नगर पंचायत लोहाघाट को नगर पालिका बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक आदेश निर्गत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास

श्री सहदेव सिंह
पुण्डीर
21.02.2015

8. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून की विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-सेन्ट्रल होप टाऊन को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सेन्ट्रल होप टाऊन को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास

श्री नवप्रभात
23.02.2015

9. क्या औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रा0औ0प्र0 संस्थान विकासनगर देहरादून के औद्योगिक पार्टनर के रूप में मै0 जनार्दन प्लाईवुड इण्डस्ट्रीज लि0 को नियत किया गया है ? यदि हां तो कब ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस औद्योगिक पार्टनर द्वारा रा0औ0प्र0 संस्थान, विकासनगर को क्या तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराये गये तथा कौन से नये व्यवसाय सृजित किये गये ? औद्योगिक प्रशिक्षण

श्री नवप्रभात
23.02.2015

10. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के हरबटपुर शहर में पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण के लिये दिनांक 22.08.2006 को 35.25 लाख रुपये की धनराशि पेयजल निगम को उपलब्ध करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या भवन का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? पशुपालन

श्री नवप्रभात
23.02.2015

11. क्या शहरी विकास मंत्री प्रथम सत्र, 2013 के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर के क्रम में बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आई0एच0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत विकासनगर नगर पालिका के लिए प्रस्तावित 194 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि निर्मित आवासों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया गया है कि निर्माण कार्य में मानकों का पालन किया गया है ? यदि हां, तो जो मकान अभी भी निर्मित नहीं हुए हैं उनके लिए विभाग ने क्या व्यवस्था की है ? शहरी विकास

श्री सुरेन्द्र सिंह
जीना
24.02.2015

12. क्या कारागार मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश की जेलों में कुछ कैदी विचाराधीन व कुछ कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिनके द्वारा भूलवश, अनजाने व आवेश में आकर अपराध कर दिया गया है परन्तु अपराधी प्रवृत्ति का न होने के कारण उनके परिवार संबंधी व मित्रों का जेल में उनसे मिलने का हमेशा मन बना रहता है ? यदि हां, तो क्या गरीब परिवार के लोग ऐसे कैदियों से मिलने आ पाये, इस हेतु उनके परिवार के निवेदन पर ऐसे सभी कैदियों को उनके परिवार के मूल रूप से रहने वाले जिलों में अन्य जिलों की जेलों से स्थानान्तरित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारागार

श्री सुरेन्द्र सिंह
जीना
24.02.2015

13. क्या प्रशिक्षण एवं सेवायोजन मंत्री अवगत हैं कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मछोड़ अल्मोड़ा के भवन के शीघ्र हस्तान्तरण करने हेतु उनके स्वयं के द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त भी भवन के हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं की गई है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि भवन का निर्माण कार्य वर्षों से चल रहा है और विभाग द्वारा भवन को न लेने के कारण प्रशिक्षणार्थियों, स्टाफ के बैठने, उपकरणों व फर्नीचर आदि को रखने के स्थान न होने के कारण प्रशिक्षण कार्य सुचारु रूप से चलाने में काफी समस्या है और इससे प्रशिक्षण कार्य प्रभावित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र भवन को हस्तान्तरित करने और प्रशिक्षण कार्य नए भवन में देने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रशिक्षण एवं सेवायोजन

श्री गणेश जोशी
24.02.2015

14. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि मसूरी स्थित लण्डौर चौक के घंटाघर की स्थिति विगत 5 वर्षों से अत्यधिक बदहाल है तथा यहां तक कि घंटाघर अपने अस्तित्व को ही खो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार घंटाघर की निर्माण की योजना बनाकर पुर्ननिर्माण करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? शहरी विकास

श्री गणेश जोशी
24.02.2015

15. द्वितीय गुरुवार के अता0 32 में स्थाना0 ।

शहरी विकास

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य योजना के अन्तर्गत मसूरी स्थित किंकरेग में मल्टीलेवल कार पार्किंग का निर्माण किया जाना है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 को ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई थी ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार मसूरी के किंकरेग में पार्किंग निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश जोशी
25.02.2015

16. क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य में नगर निकायों के सभासदों/पाषदों को मानदेय नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य के नगर निकायों में निर्वाचित सभासदों/पाषदों को मानदेय देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास

श्री प्रेम चन्द
अग्रवाल
25.02.2015

17. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में होर्डिंग नीति लागू है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश में होर्डिंग लगाने वाली एजेंसीज उस नीति के अनुरूप होर्डिंग लगा पा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास



नत्थी “ग”

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. श्री अजय भट्ट

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में पूर्व में घोषित चार जिलों कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत क्रमशः डीडीहाट एवं रानीखेत तथा गढ़वाल मण्डल में क्रमशः यमुनोत्री एवं कोटद्वार को जिला बनाये जाने,
2. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत छावनी परिषद के सिविल एरिया को नगरपालिका बनाये जाने,
3. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत से चौबटिया तक रज्जु मार्ग बनाये जाने,
4. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत से एरोड़ तक मोटर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
5. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत ताड़ीखेत-थकुलाड़ी-बैना-मटेला-मनिला सड़क निर्माण कराये जाने,
6. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत ज्याड़ी-पोखरी-बोहरागाव सड़क मार्ग निर्माण कराये जाने,
7. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत भिकियासैण डिग्री कालेज भवन का निर्माण कराये जाने,
8. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत जालली-मासी, मजखाली एवं मछेड़ विकास खण्डों का निर्माण कराये जाने,

9. अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत भिकियासैण में एक महिला पालिटैक्निक खोले जाने,
10. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत सुतनियां से बेल-नैकणा-बमनचौना एवं झड़गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कराये जाने,
11. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत विनायक-रिखाड़ मोटर मार्ग का निर्माण कराये जाने,
12. जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत स्थित गोबिन्द सिंह महारा, नागरिक चिकित्सालय में रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति कराये जाने,
13. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत भतरौंजखान चिकित्सालय का उच्चीकरण एवं चिकित्सालय में चिकित्सकों की नियुक्ति कराये जाने,
14. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत भतरौंजखान स्थित डिग्री कालेज भवन हेतु धनराशि स्वीकृत करने,
15. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत ग्राम खग्यार में ए0एन0एम0 केन्द्र की स्थापना कराये जाने,
16. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत ग्राम भड़गांव तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
17. जनपद अल्मोड़ा के स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत में एम0कॉम0, एम0ए0 संगीत, एम0ए0 संस्कृत, एम0एस0सी0 बॉटनी, एम0एस0सी0 जैलॉजी कक्षाओं की स्वीकृति प्रदान करने,
18. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत भिकियासैण डिग्री कालेज में बी0एड0 कक्षा का संचालन करने के सम्बन्ध में,
19. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत विनायक में चिकित्सालय खोले जाने,
20. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत नौला-कमराड़ पम्पिंग योजना को शीघ्र पूर्ण करने,
21. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत चमड़खान पम्पिंग पेयजल योजना को शीघ्र पूर्ण करने,
22. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत चिलियानौला पम्पिंग पेयजल योजना को शीघ्र पूर्ण करने,

23. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत गनियाघौली-काइजर मोटर मार्ग का शीघ्र निर्माण करने,
24. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत पाली-नदूली मोटर मार्ग का मोड़ी तक विस्तार करने,
25. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत चौबटिया-कुनेलाखेत-बमर्यों मोटर मार्ग का शीघ्र निर्माण करने,
26. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ज्यादा पुल का शीघ्र निर्माण कराये जाने,
27. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत चमड़खान-कनोली-सेलापानी सड़क को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने,
28. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत खग्यार से कोठिया तक सड़क का निर्माण करने,
29. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत ताड़ीखेत-चपलाड़ी-मटेला-मनिहार सड़क का शीघ्र निर्माण करने,
30. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत ताड़ीखेत-पथुली-मण्डलकोट मोटर मार्ग का शीघ्र निर्माण करने,
31. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत गनियाघौली-सिंगोली-अम्याड़ी सड़क का शीघ्र विस्तार करने,
32. सौनी-देवलीखेत-इयौड़ाखाल सड़क का शीघ्र डामरीकरण पूर्ण करने,
33. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत ताड़ीखेत-पीपली-मज्यूलाखान मोटर मार्ग का अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने,
34. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत गनियाघौली-ठाना-विशालकोट मोटर मार्ग का विस्तार तस्वाड़ तक किये जाने,
35. जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत के रानीखेत-हल्द्वानी मोटर मार्ग के पन्याली-सरोली होते हुए चमोली तक लिंक मोटर मार्ग बनाये जाने,
36. जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड ताड़ीखेत के रामनगर मोटर मार्ग के सौनी नामक स्थान से बैना तक लिंक मोटर मार्ग बनाये जाने ,

37. जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड ताड़ीखेत के रानीखेत-हल्द्वानी मोटर मार्ग के टूनाकोट चौकी के टंकी से टूनाकोट गांव तक लिंक मोटर मार्ग बनाये जाने ,
38. जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड ताड़ीखेत के देवलीखेत से नाफणा तक लिंक मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,
39. जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड ताड़ीखेत के रानीखेत-हल्द्वानी मोटर मार्ग से ब्रह्मपुरी तक लिंक मार्ग बनाये जाने,
40. जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड ताड़ीखेत के खैरना-रीची-बिल्लेख नामक रोड़ के सालीखेत बैंड से रा0इ0का0 सालीखेत तक लिंक मार्ग बनाये जाने,
41. जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड ताड़ीखेत के खग्यार डौनी होते हुए तिपोला तक लिंक मार्ग बनाये जाने ,
42. जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड ताड़ीखेत के रानीखेत-रामनगर मोटर मार्ग को कोटधार से कफुल्ली तिमिला होते हुए होते हुए लिंक मार्ग बनाये जाने,
43. जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड भिकियासैण के बासोट-बिनोली सड़क को कैनला नामक स्थान से कुम्हार्ती तक लिंक मोटर मार्ग बनाये जाने,
44. जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड भिकियासैण के भिकियासैण-भतरौंजखान मोटर मार्ग से रुदबौ गांव तक लिंक मोटर मार्ग बनाये जाने,
45. जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड भिकियासैण के रानीखेत रामनगर रोड़ के खीला नामक स्थान से लौकोट तक लिंक मार्ग बनाये जाने,
46. जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड भिकियासैण के घट्टी-बासोट-भिकियासैण सड़क को जोगीनौला से कोटा होते हुए कोटली तक विस्तार किये जाने,
47. जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड भिकियासैण के बासोट-बिनोली नामक स्थान से बुंगानौरड़ होते हुए सीम तक लिंक मार्ग बनाये जाने,
48. जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड भिकियासैण के ग्राम सभा सूणी में भतरौंजखान-भिकियासैण के गुंरणी खेत नामक स्थान से सूणी होते हुए जीनापानी तक लिंक मार्ग बनाये जाने,

49. जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड भिकियासैण के भतरौजखान-भिकियासैण के टानी नामक स्थान से जूनियर हाईस्कूल हरनोली तक लिंक मार्ग बनाये जाने,
50. उत्तराखण्ड राज्य के युवकों व बेरोजगारों के लिये रोजगार का सृजन किये जाने,
51. उत्तराखण्ड की महिलाओं की समस्याओं का निराकरण किये जाने,
52. उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष, सहित अन्य पदों को भरे जाने,
53. अनुसूचित बस्तियों का विनियमितीकरण किये जाने,
54. उत्तराखण्ड विधान सभा के प्रतिपक्ष के मा0 विधायकों के विधान सभा क्षेत्रों के लम्बित विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण किये जाने,
55. प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर शीघ्र रोक लगाये जाने,
56. प्रदेश में भूमाफियाओं पर शीघ्र नकेल कसने,
57. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने।

2. श्री भीमलाल आर्य

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

- 1- जनपद टिहरी गढ़वाल के सीमान्त, सामरिक दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण विश्व प्रसिद्ध टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित घनसाली विधानसभा क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने,
- 2- जनपद टिहरी गढ़वाल के सबसे बड़े विकास खण्ड-भिलंगना का पुनर्गठन कर नवीन “बालगंगा” विकास खण्ड का सृजन करने,
- 3- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली की सबसे बड़ी तहसील-घनसाली को जिला बनाये जाने,
- 4- विश्व प्रसिद्ध टिहरी बांध के ऊपर जन सामान्य को आवागमन की सुविधा प्रदान करने,
- 5- जनपद टिहरी गढ़वाल के दैवीय आपदा की दृष्टि से अतिसंवेदनशील विधान सभा क्षेत्र घनसाली को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने,
- 6- जनपद टिहरी गढ़वाल के सीमान्त विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत “ केन्द्रीय विद्यालय” का सृजन करने,
- 7- जनपद टिहरी गढ़वाल के 75% कृषि भू-भाग से आच्छादित सीमान्त विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत राजकीय सिंचाई खण्ड कार्यालय का सृजन करने,

- 8- जनपद टिहरी गढ़वाल के 75% कृषि भू-भाग से आच्छादित सीमान्त विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत लघु सिंचाई खण्ड कार्यालय का सृजन करने,
- 9- जनपद टिहरी गढ़वाल के सीमान्त विधान सभा क्षेत्र घनसाली के एक मात्र उच्च शिक्षा केन्द्र बालगंगा महाविद्यालय-सेन्दुल (केमर) का राजकीयकरण एवं महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु रुपये पांच करोड़ की स्वीकृति प्रदान करने,
- 10- जनपद टिहरी गढ़वाल के सीमान्त विधान सभा क्षेत्र घनसाली के सीमान्त गांवों गंगी (भिलंग), पिन्स्वाड़ (थाती कटूड़), गेंवाली (थाती कटूड़), मेड (थाती कटूड़), मरवाड़ी (थाती कटूड़), जख्राणा (थाती कटूड़), का विद्युतीकरण किये जाने,
- 11- जनपद टिहरी गढ़वाल के सीमान्त विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत इंजीनियरिंग कालेज का सृजन किये जाने,
- 12- जनपद टिहरी गढ़वाल के सीमान्त विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत मेडिकल कालेज का सृजन किये जाने
- 13- जनपद टिहरी गढ़वाल के सीमान्त विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत उत्तराखण्ड श्री देव सुमन विश्वविद्यालय का परिसर (कैम्पस) सृजन किये जाने,
- 14- जनपद टिहरी गढ़वाल के सीमान्त विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का परिसर (कैम्पस) सृजन किये जाने,
- 15- जनपद टिहरी गढ़वाल के सीमान्त विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिलखी व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलेश्वर में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं सहित विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने,
- 16- जनपद टिहरी गढ़वाल के सीमान्त विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत विश्व प्रसिद्ध टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित गांवों का विस्थापन किये जाने।

3. श्री गणेश जोशी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद देहरादून में स्थित पहाड़ों की रानी मसूरी जो पर्यटन मानचित्र पर अवस्थित है, के लिए विकास की योजना तैयार करने,
2. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में मसूरी क्षेत्र के चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण एवं चिकित्सालयों में मानकों के अनुरूप चिकित्सकों की तैनाती करने,

3. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवास निर्माण प्रतिबंधित किये जाने पर गरीब स्थानीय क्षेत्रवासियों के लिए आवास स्थापना करने,
4. प्रदेश के पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए आवास योजना बनाये जाने,
5. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत गढ़ी कैंट, नीलकण्ठ विहार, पथरियापीर, मानसिंह वाला आदि क्षेत्रों को सीवर लाइन से जोड़े जाने,
6. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत शहनशाही आश्रम राजपुर से मसूरी के लिए रोप वे का निर्माण कराने,
7. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में मसूरीवासियों के लिए कोई रोजगारपरक योजना बनाये जाने,
8. समाज कल्याण एवं खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा वार्ड/ग्राम स्तर पर शिविर लगाये जाने,
9. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में क्यारा से धनौली, चामासारी से पटरानी दौक, मालदेवता से बौठा तिमलीमानसिंह एवं पीपीसीएल कांटे से गढ़ तक सड़क निर्माण करने,
10. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में चामासारी एवं आस पास के गांवों के लिए दीर्घकालीन पेयजल योजना बनाये जाने,
11. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चामासारी में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने,
12. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के नीलकण्ठ विहार, पथरियापीर में ट्यूबवेल निर्माण करने,
13. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के रु0 10.50 करोड़ के आपदा के प्रस्तावों को शामिल करने।

4. श्री चन्दन राम दास

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के बागेश्वर नगर में सीवर लाइन की योजना स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव अभिभाषण में नहीं है, स्वीकृत हेतु जोड़े जाने,
2. बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत पुलों को वित्तीय स्वीकृति हेतु कोई उल्लेख नहीं है अतः सूरज कुण्ड में नुमाईस खेत से बागनाथ मण्डी हेतु सरयू पुल के बगल में अति 0पुल ग्राम घकड़ाइ गांव गोमती पर पुल ग्राम डाके में रानीकोट का

पुल, नैकाना खुमाईया में छानीसेरा में खोतेसीर में शिव मंदिर में पुल का उल्लेख नहीं किये जाने,

3. जनपद बागेश्वर के बागेश्वर नगर क्षेत्र में पार्किंग व नुमाइस की तरफ धारा के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं किये जाने,
4. जनपद बागेश्वर के गरुड़ वि०ख० में लम्बे समय से लम्बित गरुड़ वृहद पेयजल योजना का कोई उल्लेख नहीं किये जाने,
5. जनपद बागेश्वर के वि०ख० बागेश्वर में जेठाई पम्पिंग योजना का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किये जाने,
6. जनपद बागेश्वर के जखेड़ा में जूनियर हा०इ० व भगर तोला में जू०हाई०स्कूल का प्रान्तीयकरण व उच्चीकरण के आदेश हुए थे प्रान्तीयकरण हुआ पर उच्चीकरण के लिए उल्लेख अभिभाषण में नहीं होने,
7. जनपद बागेश्वर के गरुड़ बाजार में कूड़े के ढेर लगे हैं नदिया दूषित है किन्तु, कूड़ा उठान आदि का कोई उल्लेख किये जाने,
8. जनपद बागेश्वर के बागेश्वर विधान सभा की वन विभाग में वन हस्तान्तरण हेतु बीस सड़कां की अंतिम स्वीकृति हेतु गई हैं उनका अभिभाषण में उल्लेख नहीं किये जाने,
9. जनपद बागेश्वर के बागेश्वर विधान सभा तथा जनपद में भारी वर्षा से फसलो व फलों, सब्जियों का भारी नुकसान हुआ है जिसमें मुआवजा दिये जाने का उल्लेख नहीं किये जाने,
10. जनपद बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र में डिग्री कालेज के भवन हेतु भूमि का कोई उल्लेख नहीं किये जाने,
11. जनपद बागेश्वर के काफली गैर क्षेत्र में खाद्य गोदाम खोले जाने हेतु मा० मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद भी अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किये जाने,
12. जनपद बागेश्वर के रवाई क्षेत्र में एक महाविद्यालय खोले जाने की मांग किये जाने,
13. जनपद बागेश्वर के खरई काफली गैर क्षेत्र में एक गैस गोदाम खोलने की मांग किये जाने,
14. जनपद बागेश्वर के बागेश्वर जिले में जिला स्तरीय स्टेडियम की मांग किये जाने,
15. जनपद बागेश्वर के उच्च माध्यमिक वि० बिलौना का इण्टर में उच्चीकरण हेतु मांग किये जाने,
16. जनपद बागेश्वर के क० जू०हाई० स्कूल ओखलीसिरौद व क०जू०हाई०स्कूल खोंकर का उच्चीकरण किये जाने,
17. बागेश्वर वि०स० में विद्यालयों में प्रवक्ता प्राधानाचार्यों के पद रिक्त पदों का उल्लेख नहीं किये जाने,

18. जनपद बागेश्वर के रा0इ0का0 असौ, अमस्यारी, पुरड़ा तथा सिरकोट व रा0इ0का0 लोहारचौरा हत्यानी व रा0इ0का0 देवलधार में प्रवक्ता नियुक्त किये जाने,
19. जनपद बागेश्वर के पशु अस्पताल कासाणी ग्राम मजकोट में पशु चिकित्सालय का उल्लेख नहीं किये जाने,
20. जनपद बागेश्वर में ए0एन0एम0 केन्ट चुनोली रौखेली में खोले जाने,
21. जनपद बागेश्वर के नौगांव से मटयोली हेतु 5 कि0मी0 रोड की मांग का उल्लेख न होने,
22. जनपद बागेश्वर के धानेश्वर मटे तिलसारी मो0 रोड के डामरीकरण का उल्लेख नहीं किये जाने,
23. जनपद बागेश्वर के दुदिला, अमोली नहरपाली रोड स्वीकृत 2008 में एस0 सी0पी0 में हुई है इसके निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किये जाने,
24. जनपद बागेश्वर के मच्छी बगड़ ग्वाल्दे रोड जिसकी स्वीकृति 2008 में एस0 सी0पी0 में हुई है के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किये जाने,
25. जनपद बागेश्वर के जिनतोली खलखन्याटी हड़ाप दाबू रोड का कोई उल्लेख नहीं किये जाने।

5. श्री मदन कौशिक

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में पानी के मूल्य पर विलम्ब शुल्क के रुपये में 60 प्रतिशत अधिभार को समाप्त करने,
2. प्रदेश में प्रत्येक परिवार को 25 हजार लीटर पानी प्रत्येक माह मुफ्त दिये जाने,
3. जनपद हरिद्वार में न्यू विष्णु गार्डन-भूपतवाला आदि क्षेत्रों में सीवरेज बानाये जाने,
4. प्रदेश में चार धाम यात्रा को बढ़ावा देने की कोई प्रभावी नीति की घोषणा किये जाने,
5. जनपद हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र में सी0एच0सी0 खोले जाने,
6. जनपद हरिद्वार में नहर पट्टी का सौन्दर्यीकरण किये जाने,
7. प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने,
8. प्रदेश में गन्ना किसानों के भुगतान के सम्बन्ध में विशेष पैकेज की घोषणा किये जाने,
9. प्रदेश में किसानों के ऋण माफी करने,
10. प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली देने,

11. प्रदेश में घरेलू/व्यवसायिक बिजली के बिलों को माफ करने,
12. प्रदेश में पर्यटन के माध्यम से रोजगार देने,
13. प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग हेतु विशेष पैकेज की घोषणा किये जाने,
14. प्रदेश में नये नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत की घोषणा किये जाने,
15. प्रदेश में बी०पी०एल/ए०पी०एल० को फ्री मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराये जाने,
16. प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था हेतु ठेस कार्य योजना बनाये जाने,
17. प्रदेश में संस्कृत को बढ़ावा दिये जाने,
18. प्रदेश में संस्कृत विद्यालय खोले जाने,
19. प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के लिए विशेष योजना बनाये जाने,
20. प्रदेश में संस्कृत भाषा में कार्य करने को बढ़ावा दिये जाने,
21. प्रदेश में बी०पी०एल०/ए०पी०एल० परिवारों की कन्या हेतु एक मुस्त एक लाख रुपये देने की घोषणा किये जाने,
22. प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु ट्यूबवैल बिजली का फ्री कनेक्शन दिये जाने,
23. जनपद हरिद्वार में हाई कोर्ट बैंच की स्थापना किये जाने,
24. जनपद हरिद्वार में मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने,
25. जनपद हरिद्वार में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
26. जनपद हरिद्वार को कमिशनरी बनाये जाने,
27. जनपद हरिद्वार में बरसाती पानी की निकासी के लिए योजना बनाये जाने,
28. जनपद हरिद्वार में मंशा देवी की पहाड़ियों से हो रहे भूस्खलन को रोकने हेतु कार्य योजना बनाये जाने,
29. जनपद हरिद्वार शहर के उजाड़े हुए दुकानदारों को स्थापित किये जाने,
30. जनपद हरिद्वार नगर निगम को विशेष पैकेज दिये जाने।

6. श्री अरविन्द पाण्डे

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद ऊधमसिंह नगर के गुलरभोज में बौर जलाशय एवं हरिपुरा जलाशय को साहसिक खेलो (वाटर स्पोर्ट्स) का केन्द्र बनाये जाने,
2. जनपद ऊधमसिंह नगर में डलपुरा से लेकर तिलपुरी न० 1,2 तक जलाशय किनारे बसे लोगों के स्थाई मकान बनाये जाने,
3. जनपद ऊधमसिंह नगर में डलपुरा से लेकर तिलपुरी तक के किसानों की जमीन पर भूमिधरी का दर्जा दिया जाय, जो कि बौर जलाशय व हरिपुरा जलाशय निर्माण के समय जमीन के बदले वनभूमि दी गयी व भूमिधरी जमीन पर जलाशय बनाया गया, किसानों को न्याय दिये जाने,
4. डलपुरा से लेकर तिलपुरी तक जिस जमीन पर जो किसान काबिज हैं उसी को मालिकाना हक मिलना चाहिए, जो कई वर्ष से जमीन पर बैठे हैं। जलाशय में गयी जमीन के बदले के सम्बन्ध में कोई जिक्र न होने,
5. जनपद ऊधमसिंह नगर के तिलपुरी जलाशय, कोपा मुनस्यारी जलाशय पड़किया जलाशय, कठपुलिया जलाशय गाँव में आम जनता के लिए सड़क, पानी, बिजली, पुलिया आदि समस्याओं के समाधान के लिए समुचित व्यवस्था स्थापित करना अति आवश्यक हैं जिसका कोई जिक्र नहीं किये जाने,
6. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत जयनगर से लेकर मदनापुर, श्री रामपुर, धीमरी ब्लाक कुल्हा कोपा आदि गाँव वासियों के लिए रोजगार की समस्या का समाधान के लिए इन क्षेत्रों में कारखाने लगाये जाने की व्यवस्था सरकार द्वारा प्राथमिकता पर होनी चाहिए, का कोई जिक्र न होने,
7. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत दिनेशपुर नगर पंचायत को नगर पालिका घोषित करने के साथ ही केलाखेड़ा को नगर पालिका घोषित कराये जाने,
8. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सकैनिया में बैंक का निर्माण व नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने,
9. गदरपुर क्षेत्र में एक डिग्री कालेज एक पॉलिटेक्निक कालेज व एक खेल का स्टेडियम आदि की व्यवस्था किये जाने,
10. जनपद ऊधमसिंह नगर के दिनेशपुर क्षेत्र में एक स्टेडियम की व्यवस्था किये जाने,

11. जनपद ऊधमसिंह नगर के गदरपुर, दिनेशपुर व गुलरभोज क्षेत्र के प्रत्येक चिकित्सालय में मानक के अनुरूप पुरुष व महिला चिकित्सक की व्यवस्था किये जाने,
12. जनपद ऊधमसिंह नगर के बंगाली, नमोशुद, पौड, मांझी आदि जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने,
13. जनपद ऊधमसिंह नगर के राय सिख समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने,
14. जनपद ऊधमसिंह नगर के निर्धन बंगाली रायसिख, कम्बोज, बुक्सा अनुसूचित जाति, सैनी समाज, पर्वतीय मूल व पूर्वांचल व अन्य जातियों के परिवारों से एक-एक नव युवक को सरकारी नौकरी दिये जाने,
15. जनपद ऊधमसिंह नगर के गुलरभोज कोपा, कुल्हा, मदनापुर, जगनपुरी, गोविन्दपुर, धीमरी ब्लाक, रोशनपुर, खेमपुर, नन्दनपुर, खानपुर, पश्चिम, मसीत हरिपुरा, बरेली नगर, रजपुरा, सकैनिया, कनकटा, बकैनिया, बावनपुर, लखनऊ गदरपुर, गुमचैय्या, सूरजपुर, चकरपुर, राजपुर, फतेहगंज, धनपुर, विजयनगर, गिरधर नगर, धीमरखेड़ा, श्री रामपुर, विजयनगर, काली नगर, जयनगर, जगदीषपुर, चन्दननगर, आवाद नगर, डोंगपुरी, झगडपुरी, रामजीवनपुर, श्याम नगर, राम कोट, मझरासीला, अर्जुनपुर, रायपुर, कोशोवाला, बाजपुर, नन्दपुर, नरकाटोपा, भुडिया कला, चकरपुर, बाजपुर, भुडिया पिस्तौर, खमरिया लखनपुर, बदोपुर बासखेडी, विजयरमपुरा, सीतपुरी, गुमसामी, सोकानगंला, गणेशपुर, रामनगर, टाडा आजम, बरवाला भव्वा, नंगला, सरकडी, रमपुरा काजी, लकुरा बाजावाला, सरदार नगर आदि समस्त ग्राम सभाओं में कम से कम 3-3 किमी० सी० सी० मार्ग का निर्माण व एक-एक बारात घर का निर्माण किये जाने,
16. जनपद ऊधमसिंह नगर के गदरपुर चीनी मिल बन्दी का कैबिनेट का निर्णय तत्काल वापस किये जाने,
17. जनपद ऊधमसिंह नगर के गदरपुर गन्ना सोसाईटी को चीनी मिल से सम्बद्ध कर गन्ना सोसाईटी को समाप्त किये जाने,
18. प्रदेश की अन्य मिल की भांति गदरपुर चीनी मिल को चीनी की नियमित बिक्री किये जाने,
19. प्रदेश के मिल कर्मियों का छटा वेतनमान लागू किये जाने,

20. जनपद ऊधमसिंह नगर की गदरपुर चीनी मिल में स्थाई प्रधान प्रबन्धक होने का कोई जिक्र नहीं किये जाने,
21. जनपद ऊधमसिंह नगर के बाजपुर में बेरिया रोड से शहीद अंग्रेज सिंह की समाधि तक सड़क का निर्माण किये जाने,
22. जनपद ऊधमसिंह नगर की एन0 एच0 74 से सोका नंगला होते हुए, टाडा आजम तक रोड़ निर्माण किये जाने,
23. जनपद ऊधमसिंह नगर के मुडिया कला बाजपुर से पीपलीया तक रोड़ का निर्माण किये जाने,
24. जनपद ऊधमसिंह नगर के गदरपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में 50-50 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये जाने,
25. प्रदेश में बेमौसम वारिश से किसानों की जो फसल बर्बाद होती है उसका मुआवजा सरकार द्वारा तत्काल मिलना चाहिए, या उसका बीमा सरकार द्वारा कराये जाने,
26. प्रदेश में जिन गरीबों के घर में आग लग जाती है, बेटी के शादी का सारा समान जल जाता है ऐसी परिस्थितियों में सरकार द्वारा ऐसे परिवारों के बेटियों के शादी की व्यवस्था किये जाने,
27. जनपद ऊधमसिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र में गदरपुर नगरपालिका दिनेशपुर नगर पंचायत केलाखेड़ा नगर पंचायत को विकास हेतु 5-5 करोड़ की योजना स्वीकृत किये जाने,
28. उत्तराखण्ड में सिडकुल में कार्यरत कर्मचारियों का मिल मालिकों द्वारा शोषण किये जाने वेतन कम काम ज्यादा बिना कारण मिल से निकालना बेरोजगारी को बढ़ावा दिये जाने,
29. पहाड़ों में रोजगार की व्यवस्था नहीं की गयी है, सरकार द्वारा उचित उद्योग नहीं लगाये गये हैं, जिससे पलायन हो रहा है, इस दिशा में कार्य करने के संबंध में,
30. प्रदेश के किसानों के पक्ष में वर्ग 4 की भूमि नजूल भूमि, बंजर भूमि, वर्ग 5-6 में काबिल किसानों को भूमिधारी का अधिकार दिये जाने,
31. जनपद ऊधमसिंह नगर के बोर जलाशय, हरिपुर जलाशय को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने,
32. गदरपुर चीनी मिल के साथ-साथ प्रत्येक मिल में अतिरिक्त प्रोजेक्ट लगाये जाने,

33. जनपद ऊधमसिंह नगर के तिलपुरी जंगलात के वैरियर से होते हुए, कुल्हागाँव होते हुए, बैराज तक सड़क निर्माण किये जाने,
34. जनपद ऊधमसिंह नगर के तिलपुरी से जीरो न० होते हुए टाडा रेलवे कासिंग तक सड़क के निर्माण किये जाने,
35. प्रदेश मे शिशु भारती, विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयो को राजकीय सहायता विद्यालय घोषित किये जाने,
36. जनपद ऊधमसिंह नगर में एन० एच० 74 से रहमतुला होते हुए, चन्दनपुर गाँव का सड़क निर्माण कराने,
37. 37 एन० एच० 74 से आवाद नगर से लेकर नन्दपुर गाँव तक सड़क का निर्माण किये जाने।

7. श्री हरभजन सिंह चीमा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर को जिला बनाये जाने,
2. जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर रेलवे कासिंग पर फ्लाई ओवर बनाने जाने,
3. जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर शहर की जल भराव की समस्या हेतु कोई नीति बनाये जाने,
4. जनपद ऊधमसिंह नगर के अस्त-व्यस्त हुई 20 किमी० सड़को का नव निर्माण किये जाने,
5. जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर ग्रामीण एवं नगर की पेयजल की समस्या का कोई उल्लेख नहीं किये जाने,
6. जनपद ऊधमसिंह नगर के नगर क्षेत्र की 50 साल पुरानी स्ट्रीट लाईट का नवीनीकरण की कोई नीति बनाये जाने,
7. जनपद ऊधमसिंह नगर के नगर क्षेत्र को 40-50 साल पुरानी पेयजल लाईनो का नवीनीकरण किये जाने,
8. जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर शुगर मिल के 2 साल से बन्द होने से सरकार की गन्ना किसानो व कर्मचारियों की लगभग 40 करोड़ रु० देन-दारी दिये जाने।

8. श्री तीरथ सिंह रावत

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. विधान सभा क्षेत्र चौबटाखाल के विकासखण्ड बीरौंखाल में जोगीमढी-कालिका ललितपुर सड़क के निर्माण किये जाने,
2. विधान सभा क्षेत्र चौबटाखाल के विकासखण्ड एकेश्वर में पटोती पेयजल योजना के निर्माण किये जाने,
3. विधान सभा क्षेत्र चौबटाखाल के सतपुली महाविद्यालय में भूमि भवन एवं वित्त का कोई उल्लेख नहीं किये जाने,
4. ढोल-दमाऊ प्रशिक्षण संस्थान उन्नयन गैरसैण जिला चमोली उल्लेखित नहीं किये जाने,
5. विधान सभा क्षेत्र चौबटाखाल के विकासखण्ड एकेश्वर के श्रीकोटखाल में पॉलिटेक्निक कालेज की माँग किये जाने,
6. जनपद पौड़ी गढ़वाल के मत्स्य केन्द्र सतपुली के निर्माण को पूरा किये जाने,
7. विकासखण्ड एकेश्वर में पशु चिकित्सालय को उच्चीकरण किये जाने,
8. जनपद पौड़ी गढ़वाल के पाटीसैण एवं नौगाँव खाल के प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण किये जाने।

9. श्री चन्द्रशेखर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर में बन्दरो एवं अन्य जंगली जानवरो से खेती को नुकसान हो रहा है। जिसके कारण किसानों को खेती करना दुभर हो गया है। बन्दरो एवं अन्य जंगली जानवरो के आतंक पर रोक लगाने के लिए नीति बनाये जाने,
2. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर में पेयजल हेतु अधिक संख्या में जो हैंड पम्प खराब पड़े हैं उनका नवीनीकरण कराये जाने,
3. उत्तराखण्ड में किसानों के गन्ना बकाय का भुगतान न होने के कारण किसान आर्थिक तंगी में हैं अतः किसानों को भुगतान किये जाने,
4. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर में किसानों की खेती की सिंचाई के लिए नलकूपों का निर्माण किये जाने,

5. जनपद हरिद्वार के विगत दिनों भारी वर्षा से किसानों की गेहूँ की खड़ी फसल का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिलाये जाने,
6. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के अधिकतर गाँव में विद्युत लाईन के झूलते व कमजोर तार जिनसे जान व माल की हानि का डर बना हुआ है, उनको बदलने के विषय में कोई उल्लेख नहीं किये जाने,
7. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर में मुख्य मोटर मार्गों की हालत अत्यन्त दयनीय बनी हुई, तथा जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिनसे प्रत्येक दिन दुर्घटना होती है ऐसे मार्गों के निर्माण किये जाने,
8. विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर में प्रा० स्कूलों एवं राजकीय हाई स्कूलों के उच्चीकरण एवं उनके भवनों के निर्माण शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने,
9. विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के 2013 में आयी दैवीय आपदा के कारण किसानों की उपजाऊ भूमि में भारी कटाव हुआ था, आने वाला समय में भूमि कटाव रोकने के लिए नदियों पर तटबन्ध निर्माण कराये जाने,
10. विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के बुग्गावाला घाट क्षेत्र के विकास हेतु जनता की माँग पर बुग्गावाला को तहसील बनाये जाने,
11. विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम-गांजामजरा, टांडा हसन गढ़, झिवरेड़ी आदि के मुख्य रास्ते में रजवा नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल के पुनः निर्माण किये जाने।

10. श्री बंशीधर भगत

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में समयबद्ध तरीके से सभी शिक्षकों की भर्ती किये जाने तथा सभी विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने,
2. प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में समयबद्ध तरीके से प्रान्तीयकरण किये जाने तथा विद्यालयों में कार्यरत पी०टी०ए० शिक्षकों को नियमित किये जाने तथा सभी विद्यालयों को समय सीमा के अन्तर्गत अनुदान सूची में लिये जाने,

3. राज्य के प्रत्येक जिले के न्यायालयों में फर्नीचर पेयजल एवं सुलभ शौचालय सुसज्जित, वादकारी कक्ष या शेड निर्माण करने तथा प्रत्येक बार कक्षों में अत्याधुनिक पुस्तकालय खोलने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने,
4. प्रदेश के 60 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन एवं विकलांगों को विकलांग पेंशन दिये जाने,
5. जनपद नैनीताल के हल्द्वानी, रानीबाग स्थिति एच0एम0टी0 फैक्ट्री को सुचारु रूप से चलाये जाने,
6. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी विधान सभा के सभी ग्राम सभाओं की पेयजल लाईनों का पुर्नगठन किया जाने,
7. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी नगर क्षेत्र नया पेयजल नलकूप लगाये जाने तथा नगर की सभी लाईनों का पुर्नगठन कराये जाने,
8. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत सभी सिंचाई व पेयजल नलकूपों में स्टैबलाईजर लगाये जाने,
9. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भावर के किसानों की खेती जीवित रखने हेतु नहरों का पुर्ननिर्माण एवं सफाई कराये जाने,
10. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी विधान सभा की नई सड़कों का मरम्मत कार्य किये जाने।

11. श्री पुष्कर सिंह धामी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में रोडवेज बस अड्डे का निर्माण किये जाने,
2. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
3. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में नर्सिंग सेन्टर के निर्माण का,
4. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में बाई पास से प्रभावित होने वाले किसानों को सरकिल रेट से 10 गुना ज्यादा मुआवजा दिये जाने और सभी प्रभावितों का पुर्नवास किये जाने,
5. जनपद ऊधम सिंह नगर के बग्गा 54 को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने,

6. जनपद ऊधम सिंह नगर के एन0एच0 अमाऊ में दोनो ओर जल निकासी के लिए नाली का निर्माण किये जाने,
7. जनपद ऊधम सिंह नगर के निर्माणाधीन सरकारी अस्पताल का निर्माण यथा शीघ्र कराये जाने,
8. जनपद ऊधम सिंह नगर के बिरीया मझोला चौराहे से दीया तक 4 किमी0 सड़क का निर्माण किये जाने,
9. जनपद ऊधम सिंह नगर के मेला घाट से बग्गा 54 सड़क निर्माण किये जाने,
10. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा शहर व उसक चारों ओर जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नालियों के निर्माण कराये जाने,
11. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में मेडिकल कालेज खोलने,
12. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में सिडकुल औद्योगिक ईकाईयो की स्थापना किये जाने,
13. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में आई0टी0आई0 की विल्डिग का शीघ्र निर्माण किये जाने,
14. प्रदेश में सेना में शहीद हुए शहीदो के नाम पर स्मृति द्वार निर्माण कराये जाने,
15. जनपद ऊधम सिंह नगर के मझोला में विज्जी मार्ग का 14 किमी निर्माण किये जाने,
16. जनपद ऊधम सिंह नगर के नगरा तराई अस्पताल का यथाशीघ्र संचालन किये जाने,
17. जनपद ऊधम सिंह नगर के मेलाघाट से नेपाल को जोड़ने वाले पुल के निर्माण कराये जाने,
18. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में प0 दीन दयाल पार्क का सौन्दर्यकरण किये जाने,
19. जनपद ऊधम सिंह नगर के भाराबाल बाबा मंदिर के सौन्दर्यकरण किये जाने,
20. जनपद ऊधम सिंह नगर के चकरपुर वनखण्डी महादेव, पचौरिया, लालकोठी मेला स्थल, मेलाघाट रोड में बनशाक्ति के सौन्दर्यकरण कराये जाने,
21. जनपद ऊधम सिंह नगर के विगराबाग से विचई मार्ग निर्माण कराये जाने,

22. जनपद ऊधम सिंह नगर के अतिवर्षा से प्रभावित किसानों को यथाशीघ्र मुआवजा दिये जाने
23. जनपद ऊधम सिंह नगर के गांगी से उलधन तक सड़क का निर्माण किये जाने,
24. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में श्मशान घाट का सौन्दर्यीकरण किये जाने,
25. जनपद ऊधम सिंह नगर के दाह ढाकी से उत्तराखण्ड को जोड़ने वाले मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
26. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा डिग्री कालेज में यथाशीघ्र बी०कॉम०, एम०कॉम० की कक्षाएं खोले जाने,
27. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में विभिन्न केन्द्रों में पशु चिकित्सालय खुलवाए जाने,
28. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पानी की समस्या के लिए कम से कम 500 इंडिया मार्क हैंडपम्प लगाये जाने,
29. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गोठ और खत्तों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने,
30. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बग्गा-54 में सभी दैनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने,
31. जनपद ऊधम सिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में सभी सम्पर्क मार्गों का निर्माण करवाए जाने,
32. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका का विस्तारीकरण किये जाने,
33. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नगला तराई में पान सिंह भाटिया के घर से दौलत सिंह के घर की ओर सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,
34. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कुटरी में मुख्य चौराहे से धर्म सिंह के घर तक सी०सी० मार्ग का निर्माण किये जाने,
35. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बिरिया में चांदपुर से दिया की ओर से सड़क का डामरीकरण किये जाने,

36. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सरपुड बग्धा- 54 में भूडिया-30 में जवाहर सिंह के घर से नरेन्द्र सिंह के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,
37. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम भड़ाभूडिया में मुख्य मार्ग से दिवान सिंह के घर की ओर सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने,
38. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रतापपुर वार्ड न0 07 में गजपाल सिंह के घर से चच्चू के घर की ओर सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,
39. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मोहम्मदपुर भूडिया में प्रेम शंकर के घर से रामनरेश के घर की ओर सी0सी0 मार्ग का निर्माण किये जाने,
40. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम खेतलसंडा खाम में चौराहे से नाली तथा पुलिया का विस्तारीकरण का निर्माण कार्य किये जाने,
41. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम आलावृद्धि चटिया फार्म से वन विभाग की रोड से ललित सिंह के घर की ओर सी0सी0 निर्माण कार्य किये जाने,
42. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम उलधन में दिवान के मकान से बाग की ओर क्षतिग्रस्त सी0सी0 मार्ग का पुनः निर्माण किये जाने,
43. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत श्रीपुर विचवा वन चौकी जंगल किनारे से बंजारी फार्म तक डामरीकरण का निर्माण कार्य किये जाने,
44. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिरिया चौराहे से दिया तक मार्ग का पुनः निर्माण किये जाने,
45. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खटीमा में श्रीपुर विचवा में लोहिया नाले से बाढ़ सुरक्षा हेतु लाईनिंग के कार्य का निर्माण कार्य किये जाने,

46. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चांदपुर प्राइमरी स्कूल से दिया की ओर डामरीकरण कार्य किये जाने,
47. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुटरी में धर्म सिंह के घर की ओर डामरीकरण किये जाने,
48. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खटीमा में श्रीपुर विचवा में लोहिया नाले से बाढ़ सुरक्षा हेतु लाईनिंग किये जाने,
49. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रामजीवन पुर रोड से शास्त्री फार्म तक डामरीकरण मार्ग का निर्माण किये जाने,
50. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बिगराबाग से उमरुकला (बिचई) तक मार्ग का निर्माण किये जाने,
51. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शहीद सूबेदार प्रकाश चन्द्र की स्मृति में ग्राम सभा खेतला सण्डा मुस्ताजर में मुख्य मार्ग से शहीद सूबेदार प्रकाश चन्द्र के घर तक मार्ग के निर्माण किये जाने,
52. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विगराबाग से उमरुकला तक रोड का निर्माण कार्य किये जाने,
53. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मोहनपुर से मोहम्मदपुर भूडिया तक रोड का निर्माण कराये जाने,
54. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य मार्ग से लेकर हैप्पी मैडम के घर तक रोड का निर्माण किये जाने,
55. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मोहम्मदपुर भूडिया हाईस्कूल से देवा नदी के धाट तक रोड के निर्माण किये जाने,
56. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा नौसर में चर्च से उत्तर दिशा की ओर रोड के निर्माण कराये जाने,

57. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा पचौरिया में भीम सिंह के घर से लेकर रेलवे कालोनी तक रोड़ का निर्माण किये जाने,
58. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्णागिरी कालोनी अमाऊ में आन्तरिक सम्पर्क मार्ग के निर्माण किये जाने,
59. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा गांगी से उलधन को जोड़ने वाली रोड़ का निर्माण कार्य किये जाने,
60. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दियूरी से श्रीलंका मार्ग को अवशेष भाग की रोड़ का निर्माण कार्य किये जाने,
61. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा दिया में राजू भट्ट के घर से दियूरी तक रोड़ का निर्माण किये जाने,
62. जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दिया में लक्ष्मण सिंह डिगारी के घर से मुख्य मार्ग तक का निर्माण कार्य किये जाने,
63. जनपद ऊधमसिंह नगर में वनभुडिया से श्रीपुर विचुवा श्री कुंवर सिंह परिहार के घर तक मार्ग का निर्माण किये जाने,
64. जनपद ऊधमसिंह नगर में नदन्ना मुख्य मार्ग से बिगराबाग मार्ग तक निर्माण कार्य किये जाने,
65. जनपद ऊधमसिंह नगर में खेतलसंडा मुस्ताजर में शहीद सुबेदार प्रकाश चन्द्र के घर तक मार्ग के निर्माण कार्य किये जाने,
66. जनपद ऊधमसिंह नगर में राज्य योजना के अंतर्गत ग्राम सभा टिगरी भुडाई में सागर कालोनी में मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,
67. जनपद ऊधम सिंह नगर में राज्य योजना के अंतर्गत ग्राम सभा टिगरी भुडाई में सागर कालोनी में मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,
68. जनपद ऊधम सिंह नगर में राज्य योजना के अंतर्गत श्रीपुर विचवा में शहीद द्वार का निर्माण किये जाने,

69. जनपद ऊधम सिंह नगर में राज्य योजना के अन्तर्गत प्रतापपुर से तहसील सितारगंज तहसील को जोड़ने वाले मार्ग के निर्माण का कार्य किये जाने,
70. जनपद ऊधम सिंह नगर में राज्य योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र खटीमा में नौसर उलानी सुनपहर मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण किये जाने,
71. जनपद ऊधमसिंह नगर में टी0एस0पी0 के अंतर्गत सैजना पुल से उमरुकला बिचई बहादुर बोरा के घर तक मार्ग का नव निर्माण के कार्य किये जाने,
72. जनपद ऊधमसिंह नगर में राजकीय महाविद्यालय खटीमा में रोजगार परक विषयों की स्वीकृति (एम0बी0एस0, एल0एल0बी0 और अन्य रोजगार परक कोर्स) दिये जाने,
73. जनपद ऊधमसिंह नगर की नगर पालिका परिषद खटीमा जिसे सन 1961 के बाद से ही टाउन एरिया का दर्जा प्राप्त हुआ था अभी तक उसके सीमा विस्तार के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किये जाने,
74. जनपद ऊधमसिंह नगर में विधान सभा क्षेत्र खटीमा के क्षेत्रान्तर्गत धारा 3 के अंतर्गत तत्काल खटीमा सीमा विस्तार के सम्बन्ध में भी कोई उल्लेख नहीं किये जाने,
75. जनपद ऊधमसिंह नगर में विधान सभा क्षेत्र खटीमा में जलभराव की समस्या की निजात के लिए खकरा एवं मुकरा नाले में पिचिंग चौड़ीकरण एवं सफाई किये जाने,
76. जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में इंजीयिरिंग कालेज की स्थापना किये जाने,
77. जनपद ऊधमसिंह नगर में विधान सभा क्षेत्र खटीमा के राज्य आंदोलनकारी के चिन्हीकरण किये जाने,
78. जनपद ऊधमसिंह नगर में विधान सभा क्षेत्र खटीमा में स्थापित तीनो फैक्ट्रियों में खटीमा के युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराये जाने,
79. जनपद ऊधम सिंह नगर में विधान सभा क्षेत्र खटीमा में पूर्व सैनिक बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण कैन्टीन एवं सैनिक विश्राम गृह की स्थापना किये जाने,
80. जनपद ऊधम सिंह नगर में टी0एस0पी0 के अंतर्गत बिगराबाग से उमरुकला बिचई मार्ग नव निर्माण किये जाने,

81. जनपद ऊधम सिंह नगर में विधान सभा क्षेत्र खटीमा में राज्य योजना के अंतर्गत चटिया फार्म में चटिया विद्यालय से शिवमन्दिर पिठिरिया से जरनैल सिंह के घर तक बिगराबाग में रामसिंह के मकान से आर्टिजन बोर तक बनगवां रघुलिया में कलैक्टर फार्म से बनगवां तक मार्ग के निर्माण किये जाने,
82. जनपद ऊधम सिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में राज्य योजना के अंतर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के शारदा नहर के किनारे लाल कोठी से काला पुल तक मार्ग के निर्माण किये जाने,
83. जनपद ऊधम सिंह नगर में टी0एस0पी0 के अंतर्गत देशी भुडिया के कक्का सिंह के खेत से हरविन्दर सिंह के घर तक मार्ग का निर्माण किये जाने।

12. श्री यतीश्वरानन्द

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत हरिद्वार ग्रामीण में हाथियों के नुकसान को रोकने हेतु व्यवस्था किये जाने,
2. जनपद हरिद्वार में खनन का कार्य खोले जाने,
3. जनपद हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में यातायात की समुचित व्यवस्था का प्राविधान किये जाने,
4. जनपद हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में लालढांग से मीठीबेरी तक पुल निर्माण किये जाने,
5. जनपद हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में कांगड़ी गाँव से लेकर बारपीली तक सड़क बनाये जाने,
6. जनपद हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में लालढांग पंचायत को ब्लॉक का दर्जा दिये जाने,
7. जनपद हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में लालढांग में एक डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने,
8. जनपद हरिद्वार के हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में टिहरी विस्थापित कालोनियो में सड़को की हालत सुधारे जाने,
9. जनपद हरिद्वार के हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई एवं पीने के पानी की समुचित व्यवस्था किये जाने,
10. जनपद हरिद्वार के हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में जंगली जानवरों द्वारा नष्ट की गयी फसल पर मुआवजे की राशि को 5 गुना किये जाने,

11. जनपद हरिद्वार के हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र ग्राम-कांगड़ी, गाजिवाली, श्यामपुर, टाटवाला में गंगा किनारे तटबन्ध का निर्माण किये जाने,
12. जनपद हरिद्वार के हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-जटबहादुरपुर में एक अस्पताल का निर्माण किये जाने,
13. जनपद हरिद्वार के हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में महिला आई.टी.आई. का निर्माण किये जाने,
14. जनपद हरिद्वार के हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन पर किसी अच्छी योजना का कोई उल्लेख नहीं किये जाने,
15. जनपद हरिद्वार के हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-शाहापुर शीतलाखेड़ा में पशु अस्पताल का निर्माण कराये जाने,
16. जनपद हरिद्वार के हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत महिला डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने,
17. जनपद हरिद्वार के हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के किसानों को गन्ना की समय अवधि का कोई भी उल्लेख नहीं किये जाने।

13. श्री दलीप सिंह रावत

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जिला पौड़ी गढ़वाल के लैंसडौन विधान सभा क्षेत्र के खटलगढ़ नदी के (विकासखण्ड-बीरौखाल) 2010 में बहे पुल का निर्माण किये जाने,
2. जनपद पौड़ी गढ़वाल के ताल चिलाऊ विकासखण्ड नैनीडांडा के बहे पुल के निर्माण किये जाने,
3. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैंसडौन में पासीखाल से तोल्योडांडा तक 5 किमी० रोड के निर्माण किये जाने,
4. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैंसडौन में अब्दरगाँव विकासखण्ड रिखणीखाल, अदालीखाल, नैनीडांडा, सीधीखाल विकासखण्ड जहरीखाल में खेल मैदान निर्माण किये जाने,

5. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैंसडौन में नैनीडांडा शंकरपुर विकासखण्ड नैनीडांडा मोटर मार्ग के चौड़ीकरण व पक्कीकरण को किये जाने,
6. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैंसडौन में खदरासी, नैनीडांडा में पुल निर्माण किये जाने,
7. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैंसडौन में लैंसडौन के निकट भगुली गाँव में झील निर्माण किये जाने,
8. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैंसडौन में भैरवगढ़ी रिखणीखाल पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण किये जाने,
9. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैंसडौन में नावे तल्ली तोक ताण्डियू विकासखण्ड रिखणीखाल एवं मजलगढ, जहरीखाल, झूङ्गू नैनीडांडा के विद्युतीकरण किये जाने,
10. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैंसडौन में प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र रिखणीखाल का सामुदायिक चिकित्सा उच्चकृत किये जाने,
11. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैंसडौन में भौन नैनीडांडा एवं दुनाव बीरौखाल में प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
12. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैंसडौन में पशु चिकित्सा केन्द्र अपोला नैनीडांडा एवं वासी जहरीखाल में चिकित्सा केन्द्र खोले जाने।

14. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के साथ ही पर्वतीय जिलों के इन्टर कालेजों व विद्यालयों में प्रवक्ताओं, शिक्षकों, व प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के साथ ही शिक्षा के स्तर को सुधारे जाने,
2. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के साथ ही उत्तराखण्ड के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़े जाने,
3. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट व प्रदेश के किसानों की फसलों को बन्दरों, सुअरों व जंगली जानवरों से बचाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही व नीति बनाये जाने,

4. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के साथ ही प्रदेश के सभी पर्वतीय जिलों से लगातार हो रहे पलायन को रोकने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने,
5. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में पूर्व स्वीकृत मिनी स्टेडियम, स्याल्दे, देघाट व मानिला में निर्माण कराने के साथ ही प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा निखार हेतु प्रत्येक पर्वतीय जनपद की विधान सभाओं में शीघ्र ही स्टेडियमों के निर्माण किये जाने,
6. जनपद अल्मोड़ा के मानिला बरकिण्डा पेयजल योजना, शाशिखाल-कोटेश्वर पेयजल योजना, हशीदुंगा गुजरकोट पेयजल बदनगढ पेयजल योजना सराईखेत क्षेत्र हेतु पेयजल योजनाओं का शीघ्र निर्माण के साथ ही पैसिया कालीगांव करगेत पेयजल योजना का पुर्नगठन कर सल्ट के प्रत्येक गांववासियों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने,
7. जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों देघाट, देवायल, स्याल्दे, जौरासी, मानिला, सैणमानुर, मछेड, भौनखाल, नैल सराईखेत के साथ ही सभी अस्पताओं में मानकानुसार डाक्टरों, कर्मचारियों, उपकरणों के साथ ही दवाईयों की समुचित व्यवस्था कर स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार किये जाने,
8. जनपद अल्मोड़ा में वनभूमि की स्वीकृति उपरान्त भी बल्मरा-स्याल्दे- केदार मोटर मार्ग, महारौली चितौडखाल मोटर मार्ग बाजखेत-बनाडी किचार मोटर मार्ग, भौनडाडा, मनगांव, बूढ़ाकोट मोटर मार्ग, बल्मरा चनोली सराईखेत मोटर मार्ग, सदर-सकनडा-बेसरबगड़ मोटर मार्ग सनणा-मजगांव -कैरला मोटर मार्ग के निर्माण कार्य को शीघ्र आरम्भ किये जाने,
9. जनपद अल्मोड़ा में वर्षों से स्वीकृत सल्ट विधान सभा की लगभग 30 मोटर मार्गों जैसे मरचूला-भिक्यासैण मोटर मार्ग, शहीद आनन्द सिंह रावत गिवाईपानी मोटर मार्ग, तल्ली चम्याड़ी -नायाण मन्दिर -नागचूला मोटर मार्ग, तल्ली यम्याड़ी-गणतखल मोटर मार्ग, देघाट, उप्राडी, ग्वालबीना मोटर मार्ग, तामाठैन-गोलना-खल्दुवा मोटर मार्ग , झिमर, भैसीखेत डढोली मोटर मार्ग, माजिला चौना, रतखल सीमा रिस्टना खायो मोटर मार्ग झीग-टमला-जमीरखेत-डमरा मोटर मार्ग, पीपना, मनहैत डगूजा मोटर मार्ग, हरडा भिक्यासैण, मछेड,

दूधामोदान मोटर मार्ग चमकना से था तराड़ मोटर मार्ग, स्टेड लामाठैन मोटर मार्ग, बुरासपानी लखरकोट के साथ ही सभी स्वीकृत मोटर मार्गों का शीघ्र निर्माण कराये जाने,

10. जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र में विद्युत पोलों को बदलने के साथ ही विद्युत व्यवस्थाओं को सुचारु किये जाने,
11. जौरासी में आई.टी.आई. की स्वीकृति के साथ ही सभी आई.टी.आई में नये ट्रेडों की स्वीकृति किये जाने,
12. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट पॉलीटेक्निक में विषय बढ़ाने के साथ ही देघाट व तल्ला सल्ट में नये पॉलीटेक्निक स्वीकृत किये जाने,
13. जनपद अल्मोड़ा के सराईखेत व मोलखल में महाविद्यालय की नवीन स्वीकृति के साथ ही तल्ला सल्ट में महाविद्यालय के भवन निर्माण किये जाने,
14. जनपद अल्मोड़ा के मालीखेत, नागचूड़ा खाल, बालखेत, भैरगंखाल में नये स्वास्थ्य केन्द्रों शीघ्र स्वीकृत किये जाने।

15. श्री प्रेम सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश की राय सिख एवं काम्बोज जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने,
2. जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकसागर (डूब क्षेत्र) के आस-पास निवास करने वाले लोगों को आवासीय पट्टा दिया जाने,
3. उत्तराखण्ड राज्य में निवास करने वाले समस्त जाति वर्ग समुदायों के लोगों का जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र हेतु साक्ष्य उत्तराखण्ड बनने के बाद का मांगे जाने,
4. उत्तराखण्ड के किसानों की फसल को पंजाब मण्डी की तर्ज पर बेचे जाने,
5. जनपद ऊधमसिंह नगर की नानकमत्ता उपकृषि मण्डी को कृषि मण्डी में उच्चीकरण करने,
6. जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता गुरुद्वारा पवित्र स्थान एवं नानक सागर बांध को देखते हुए पर्यटन स्थल घोषित किये जाने,

7. जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता नगर पंचायत की घोषणा को यथा शीघ्र पूर्ण किये जाने,
8. जनपद ऊधमसिंह नगर के सिसई खेड़ा में रोडवेज (परिवहन निगम) बस स्टैण्ड की स्थापना किये जाने,
9. प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को वन विभाग द्वारा हकहकूक (माफी) की लकड़ी दी जाती थी जो वर्तमान में समाप्त कर दी गयी है, को पूर्व की भांति हकहकूक (माफी) की लकड़ी दिये जाने,
10. जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता में अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों हेतु पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने,
11. प्रदेश में आशा कार्यकर्तियों को मानदेय दिये जाने,
12. जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता में अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों को निःशुल्क आई.ए.स. ,पी.सी.एस. एवं आई.पी.एस. हेतु निःशुल्क कोचिंग दिये जाने,
13. जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता में थारु जनजाति विकास भवन की स्थापना किये जाने,
14. जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता के अन्तर्गत गलाबाग फुलैइया थनाराला में पुल निर्माण एवं रपटा बनाये जाने,
15. जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता के अन्तर्गत हंसपुर, कडापानी, गंगापुर,गोठ, पीला पानी, ऐंचता बीही (फैरा) गांव में विद्युतीकरण किये जाने,
16. जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता के अन्तर्गत नदीश्वर मन्दिर ध्यानपुर को भव्य मन्दिर बनाये जाने,
17. जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों, बलखेड़ा, ऐंचता, विचुवा, चारुबेटा, गोविन्दपुर, आदि विद्यालयों का उच्चीकरण किये जाने,
18. जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता के अन्तर्गत लामाखेड़ा-पहसेनी सम्पर्क मार्गों खखरा नाला में पुल निर्माण, देवीपुरा-चैतुआखेड़ा नाला में पुल निर्माण, विडौरा-कोदाखेड़ा खखरानाला में पुल निर्माण, चन्देली में परवीन नदी में पुल निर्माण किये जाने,
19. जनपद ऊधमसिंह नगर के साधु नगर-सिडकुल सम्पर्क मार्ग कैलाश नदी में पुल बनाये जाने,

20. जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता में सिक्ख समुदाय, (रायसिक्ख) जाति के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु जनजाति आश्रम पद्धति विद्यालय की तर्ज में रायसिक्ख जाति आश्रम पद्धति विद्यालय खोले जाने,
21. जनपद ऊधमसिंह नगर के चांदा से भुडरिया सड़क का पुनः निर्माण किये जाने ,
22. जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता में तहसील की स्थापना किये जाने,
23. जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता में पर्यटक आवास गृह के पास नहर के दोनों ओर कच्ची सड़क का डामरीकरण लगभग 16 किलोमीटर तक किये जाने,
24. जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज कखटा चौराहे से सैजनी की ओर लगभग 3.50 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण किये जाने,
25. जनपद ऊधमसिंह नगर के कैलाश नदी से हो रहे भू-कटाव को रोकने के लिए, साधूनगर, औदली, डोहरी, एजेनिया, खैराना, सलमत्ती, बिज्जी, सलमत्ता आदि क्षेत्र में तटबन्ध की स्थापना किये जाने,
26. जनपद ऊधमसिंह नगर के कैलाश नदी एवं नघौर नदी के दोनों ओर पक्की दीवार बनाये जाने,
27. जनपद ऊधमसिंह नगर के देवहा नदी से हो रहे भू-कटाव को रोकने के लिए, विचई, विचुवा, थूड, बरकीडाडी, आदि गांव में तटबन्ध बनाये जाने,
28. जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम देवीपुर, चैतुआखेड़ा, से ज्ञानपुर गौड़ी तक सड़क का डामरीकरण एवं पुल निर्माण किये जाने,
29. जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम नलई से सिसई खेड़ा सम्पर्क मार्ग का लगभग 18 किलोमीटर पुनः निर्माण किये जाने,
30. जनपद ऊधमसिंह नगर के सिसईखेड़ा से लालफार्म विरिया, भूड सड़क लगभग 08 किलोमीटर का डामरीकरण किये जाने,
31. जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम-औदला से विरिया होते हुए मटियाई भूड तक लगभग 06 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण एवं खरखरा नाला में पुल निर्माण किये जाने,
32. जनपद ऊधमसिंह नगर के नौगवाढगू-भूजिया न0 03 में 03 किलोमीटर कच्ची सड़क का डामरीकरण किये जाने,

33. जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम झनकट (खटीमा) भट्टा से पूर्णागिरी कालेज की ओर लगभग 03 किलोमीटर डामरीकरण किये जाने,
34. जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम झनकट (खटीमा) सरस्वती शिशुमन्दिर से नेशनल हाईवे, फुलैइया की ओर लगभग 05 किलोमीटर कच्ची सड़क का डामरीकरण किये जाने,
35. जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम-देवीपुर से गिधौर गांव को जोड़ने एवं वन क्षेत्र कार्यालय से गिधौर एवं ढेरा को जोड़ने हेतु लगभग 08 किलोमीटर कच्ची सड़क का डामरीकरण किये जाने,
36. जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम-विडौरा से धेरा फार्म घुसरा की ओर लगभग 06 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण किये जाने,
37. जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम-विधइया, खयरिया शमशान घाट की ओर लगभग 05 किलोमीटर कच्ची सड़क का डामरीकरण किये जाने,
38. जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम-सुन्दरपुर से आमखेड़ा लगभग 2.50 किलोमीटर कच्ची सड़क का डामरीकरण किये जाने,
39. ग्राम गोविन्दपुर, खुनसरा, डिपोदार, आदि कई स्थानों पर लगभग 08 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण किये जाने,
40. जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम पहेनिया से शहीद बहादुर सिंह धामी सम्पर्क मार्ग को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग लगभग 03 किलोमीटर कच्ची सड़क का डामरीकरण किये जाने,
41. जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम ध्यानपुर नदीश्वर गेट से बरकीडाडी एवं सड़क से राजू, राजेन्द्र के घर की ओर लगभग 06 किलोमीटर कच्ची सड़क का डामरीकरण किये जाने,
42. जनपद ऊधमसिंह नगर के रनसाली गांव में भूमि आवंटन होने पर भी आज तक भूमि अधिकार से वंचित है आवासित किसानों को भूमि अधिकार दिये जाने,
43. जनपद ऊधमसिंह नगर के नेशनल हाईवे से बिज्जी-टनकपुर सम्पर्क मार्ग(एन0एच0) से प्रभावित किसानों जैसे चीकाघाट,सिसईखेड़ा, विडौरा, पचपेड़ा भट्टा, नानकमत्ता सडासडिया, इटउवा पहेनिया, झनकट आदि गावों के किसानों को सर्किल मूल्य से 10 गुना मुआवजा धनराशि दिये जाने,

44. जनपद ऊधमसिंह नगर के साधूनगर में उपप्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दिये जाने,
45. जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम विधुवा एवं बलखेड़ा में ऐंचता गांव में मिनी खेल स्टेडियम की स्थापना किये जाने,
46. जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना किये जाने।

16. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत मालडूंग जलाशय योजना से विधान सभा सहसपुर के बड़े क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना का निर्माण किये जाने,
2. विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम सभा से 0हो0टा0 में औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आबादी के दृष्टिगत सरकारी अस्पताल खोले जाने,
3. विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम कंडोली के अन्तर्गत पालीवाली में गुलाटा नदी पर आवागमन हेतु पुल निर्माण किये जाने,
4. विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत शिमला बाईपास मार्ग पर धर्मावाला व बड़ोवाला के मध्य सरकारी अस्पताल जनहित में खोले जाने,
5. विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम कोटी व बुटोली के मध्य शेखाला में झूला पुल निर्माण किये जाने,
6. विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम खुशहालपुर के अन्तर्गत इस्लाम नगर में मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
7. विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम पंचायत इंगा से मिरास पट्टी तक मार्ग निर्माण किये जाने,
8. विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम दुधई के अन्तर्गत आन्तरिक मार्गों का निर्माण किये जाने,
9. विधान सभा क्षेत्र सहसपुर ग्राम पंचायत ढलानी व मलेथा के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण किये जाने,
10. विधान सभा क्षेत्र सहसपुर में पुरानी क्षतिग्रस्त पेयजल लाईनों के स्थान पर नई पेयजल लाइनें बिछाये जाने,
11. विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत आन्तरिक मार्गों का निर्माण किये जाने,

12. विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत पेयजल की समस्या को मद्दे नजर रखते हुए 100 हैण्ड पम्पों की स्थापना किये जाने,
13. विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्मशान घाट एवं श्मशान घाट को जाने वाले मार्गों का निर्माण किये जाने,
14. विधान सभा क्षेत्र सहसपुर अन्तर्गत कब्रिस्तानों की ओर जाने वाले मार्गों का निर्माण किये जाने,
15. विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत पेयजल एवं नलकूप एवं ओवर हैड टैंकों का निर्माण किये जाने,
16. विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत डिग्री कालेज खोले जाने एवं विद्यालयों के उच्चीकरण करने एवं सहसपुर में सिंचाई हेतु सिंचाई नहर एवं सिंचाई नलकूप स्थापित किये जाने,
17. विधान सभा क्षेत्र सहसपुर का अधिकांश भाग वन क्षेत्रों से सटे होने के कारण आबादी वाले क्षेत्रों में कई घटनाएँ होने के दृष्टिगत जान माल की सुरक्षा हेतु ऐसे स्थानों में लगभग 500 सोलर लाइटें लगाये जाने,
18. विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत गा0प0सुद्धोवाला पालिटैक्निक के पास आवागमन हेतु देड नदी पर पुलिया निर्माण किये जाने,
19. विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत काफी नदिया एवं जंगलों से निकलने वाले खाले जो बरसात के मौसम में आबादी व कृषि योग्य भूमि को नुकसान पहुंचाते हैं उन नदियों व बरसाती खालों के दोनों ओर सुरक्षा हेतु तटबन्ध लगाये जाने,
20. विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत वन विभाग के अन्तर्गत पडने वाले मार्गों का निर्माण किये जाने।

17. श्री संजय गुप्ता

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार के भोगपुर से बाला वाली तक जीर्ण-शीर्ण गंगा नदी के बांध को दुरुस्त करने तथा बांध की सुरक्षा हेतु ठोकरे बनाये जाने,
2. जनपद हरिद्वार के लक्सर नगर में रोडवेज बस स्टैण्ड की स्थापना किये जाने,

3. जनपद हरिद्वार के ग्राम ऐथल बुजुर्ग-सीधडू में पथरी नदी पर पुल का निर्माण किये जाने,
4. जनपद हरिद्वार के ग्राम अमौठा खुर्द श्मशान घाट के पास नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
5. जनपद हरिद्वार के ग्राम अकोढा खुर्द बीचपडी पर पुल का निर्माण किये जाने,
6. जनपद हरिद्वार के ग्राम मुबारिकपुर अलीपुर से तिराहे से ग्राम नवादा होते हुए लाडपुर कला तक लगभग 03 किलोमीटर सड़क का पुर्ननिर्माण किये जाने,
7. जनपद हरिद्वार के ग्राम अलावलपुर में पानी की टंकी से ग्राम बाडीदीप की ओर लगभग 03 किलोमीटर सड़क निर्माण किये जाने,
8. जनपद हरिद्वार के ग्राम सुल्तानपुर से ग्राम अलावलपुर होते हुए ग्राम रायघटी तक सड़क का पुर्ननिर्माण किये जाने,
9. जनपद हरिद्वार के ग्राम टिक्कमपुर बेगम पुल के पास से ग्राम मुंगखेड़ा कलां तक लगभग 04 किलोमीटर सड़क का निर्माण किये जाने,
10. जनपद हरिद्वार के ग्राम बहादरपुर खादर से ग्राम बसेड़ा खादर होते हुए मलकपुर तक सड़क का पुर्ननिर्माण किये जाने,
11. जनपद हरिद्वार के ग्राम हिरना खेडी में पथरी नदी पर पुल का निर्माण किये जाने।

18. श्री पूरन सिंह फर्त्याल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद चम्पावत के लोहाघाट में पर्यटन बढ़ाने हेतु कोलीढेक में झील निर्माण किये जाने,
2. जनपद चम्पावत के लोहाघाट नगर के लिये पेयजल हेतु सरयू नदी से लिफ्ट योजना निर्माण एवं पाटी के लिए कोरा नदी से लिफ्ट योजना का निर्माण किये जाने,
3. जनपद चम्पावत के विकास खण्ड पाटी के दूरस्थ गांव गोलडांडा, कलियाधूरा, चौडागूँठ, सिल्योड़ीगूँठ, आदि गांवों में विद्युतीकरण कार्य किये जाने,
4. जनपद चम्पावत के खेतीखान आई.टी.आई. संस्थान हेतु भवन निर्माण किये जाने,
5. जनपद चम्पावत के लोहाघाट में विधि महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,

6. जनपद चम्पावत के लोहाघाट में कृषि महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
7. जनपद चम्पावत के लोहाघाट में इन्जीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किये जाने,
8. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गांव बाराकोटा में गेस्ट हाउस का निर्माण किये जाने,
9. जनपद चम्पावत के नेपाल सीमा से लगे दूरस्थ कायल के लिये सड़क का निर्माण किये जाने,
10. जनपद चम्पावत की नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर के पन्थ्यूड़ा से सरयू नदी में लोहाघाट व पिथौरागढ़ से गांवों के आवागमन के लिये झूला पुल निर्माण किये जाने।

19. श्री राजेश शुक्ला

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत पतनगर कृषि विश्व विद्यालय में चार वर्षों से रिक्त स्थाई कुलपति के पद पर नियुक्ति किये जाने, विश्व विद्यालय को केन्द्रीय विश्व विद्यालय का दर्जा दिलाये जाने, तथा विश्व विद्यालय को केन्द्रीय विश्व विद्यालय में चार वर्षों से रिक्त स्थाई कुलपति के पद पर नियुक्ति किये जाने,
2. जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी पॉलिटेनिक कालेज स्थापित न किये जाने,
3. जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा विधान के अन्तर्गत मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी बस स्टेशन भवन का निर्माण न किये जाने,
4. जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 12 इण्टर कालेज व हाईस्कूल के छात्रों की उच्च शिक्षा हेतु स्नातकोत्तर विद्यालय का निर्माण किये जाने,
5. जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी बण्डिया किच्छा में पेयजल ओवर हैड टैंक स्थापित न किये जाने,
6. जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा विधान के अन्तर्गत किच्छा चीनी मिल में आसवती (डिस्टलरी) की स्थापना किये जाने,
7. जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी किच्छा के ग्रामीण

क्षेत्रों में 10 कि०मी० व शहरी क्षेत्र में 5 कि०मी० सड़कों का हाटमिक्स निर्माण न किये जाने,

8. जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा विधान के अन्तर्गत किच्छा में रेलवे ट्रैक व स्टेट हाइवे के मध्य नगला से पुल भट्टा तक बसे हुए झोपड़ी वासियों को भूमि देकर बसाये जाने,
9. जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खुर्पिया प्राण फार्म की सीलिंग की भूमि में स्थानीय भूमिहीनों को भूमि देकर बसाये जाने व कृषि आधारित प्रदूषण रहित उद्योग स्थापित किये जाने,
10. प्रदेश में फरवरी माह की बेमौसम वर्षा से रबी की फसलों गेहूं, मटर, सरसों व फल, सब्जियों एवं फूलों की खेती में हुए नुकसान का आकलन कराकर कृषकों को मुआवजा/सहायता राशि दिये जाने,
11. जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शांतिपुरी न० 3 पर व इमलीघाट पर गौला नदी पर पुल बनाये जाने,
12. जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किच्छा में मंडी से पिपलिया चौराहा (सितारगंज रोड़) तक सिडकुल से सम्पर्क मार्ग एवं रपटा पुल का निर्माण किये जाने,
13. जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किच्छा के राजकीय कन्या इण्टर कालेज में 2500 छात्राओं के सापेक्ष 8 कक्षा कक्षाओं का निर्माण एवं उचित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने,
14. जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किच्छा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर उप जिला चिकित्सालय बनाये जाने व सर्जन सहित अन्य चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने,
15. जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किच्छा क्षेत्र के प्राथमिक, जूनियर, हाईस्कूल व इण्टर कालेजों में पर्याप्त शिक्षकों, शौचालय, बाउन्ड्रीवाल व कक्षा कक्षाओं का निर्माण किये जाने,
16. जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्गचार व नजूल की भूमि पर मालिकाना हक दिये जाने,

17. जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मिनी आंगन बाड़ी केन्द्रों पर भवन स्थापित किये जाने,
18. जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किच्छा में किराये के भवन में चल रहे आईटीआई भवन का निर्माण किये जाने,
19. जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खुरपिया फार्म की भूमि में खेल स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
20. जनपद उधमसिंहनगर के किच्छा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत महिला चिकित्सालय का निर्माण किये जाने।

20. श्री आदेश चौहान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत शिवालिक नगर पालिका में छूट गये क्षेत्रों नवोदय नगर, विस्थापित टिहरी कालौनी रोशनाबाद, जिला मुख्यालय, सिडकुल, इन्द्रलोक कालौनी, सन्त कृपाल नगर, देवनगर, दर्शन नगर, रामधाम कालौनी, गंगानगरी, फेन्डस कालौनी (रावली महदूद) को नगर पालिका शिवालिक नगर में शामिल किये जाने,
2. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत सिडकुल के सीमावर्ती क्षेत्रों गांव रावली महदूद, रोशनाबाद, आन्नेकी, टिहरी विस्थापित कालौनी, सुभाषनगर, ज्वालापुर, सीतापुर, जगजीतपुर में बढ़ते जन दबाव को देखते हुये मूलभूत सुविधाये सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, के लिये विशेष पैकेज दिये जाने,
3. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत ग्राम टाण्डा टिहरा (गुरुद्वारा) से ग्राम टिहरा टोगिया तक सड़क का निर्माण किये जाने,
4. जनपद हरिद्वार के जिला मुख्यालय रोशनाबाद हरिद्वार से हरिद्वार रानीपुर मोड़ तक सड़क का निर्माण किये जाने,
5. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भेल के बेरियर न० 6 से ग्राम रावली महदूद अम्बेडकर चौक तक सड़क का चौड़ीकरण व पुर्ननिर्माण किये जाने,
6. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत सिडकुल में हो रहे श्रमिकों के उत्पीड़न पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने,

7. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत सिडकुल में 70 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने,
8. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत ग्राम जगजीतपुर, सीतापुर, गुरुकुल विश्व विद्यालय नया गांव, हरिलोक कालौनी, पुल जटवाड़ा को नगर निगम हरिद्वार में शामिल किये जाने,
9. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर अन्तर्गत पेयजल योजना/सीवर योजना शिवालिक नगर, सुभाषनगर, टिहरी विस्थापित को जल संस्थान को हैण्डओवर किये जाने,
10. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत पुनर्वास कालौनी विष्णुलोक (भेल) व गंगा नगरी में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किये जाने।

21. श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक और महाविद्यालय खोले जाने,
2. जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ऋषिकेश से डोईवाला रेलवे लाईन का निर्माण के साथ रायवाला, श्यामपुर, हरिपुरकला हाईवे पर बड़े ओवरब्रिज निर्माण किये जाने,
3. जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ऋषिकेश की संजय झील को विकसित किये जाने,
4. जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पशुलोक, असेना-डोबरा कृष्णानगर कालौनी ग्रामो को राजस्व ग्राम का दर्जा दिये जाने,
5. जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ऋषिकेश के आस-पास ग्रामीण क्षेत्रों में सीवर-लाईन बिछाये जाने,
6. जनपद देहरादून के अन्तर्गत घरेलू गैस की सुचारु सुविधा दिये जाने,
7. जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हरिपुरकला, नेपालीफार्म-खैरी, आमबाग, गीता नगर मालवीय नगर आदि क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा कार्य किये जाने,

8. जनपद देहरादून के अन्तर्गत जंगली जानवरों से जान-माल की सुरक्षा एवं प्रभावितों हेतु मुआवजा राशि बढ़ाये जाने,
9. जनपद देहरादून के अन्तर्गत बाढ़ प्रभावितों को जान-माल हानि हेतु मुआवजा राशि बढ़ाये जाने,
10. जनपद देहरादून के अन्तर्गत सत्यनारायण के सामने एन0एच0 से सड़क मार्ग का निर्माण किये जाने,
11. जनपद देहरादून के अन्तर्गत रायवाला-प्रतीतनगर सड़क मार्ग का निर्माण किये जाने,
12. जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ऋषिकेश पार्किंग व्यवस्था दुरुस्थ किये जाने,
13. जनपद देहरादून के अन्तर्गत मूल निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने,
14. जनपद देहरादून में माँ गंगा की पवित्रता हेतु गन्दे नालों की रोकथाम किये जाने की व्यवस्था किये जाने,
15. प्रदेश के आन्दोलनकारियों को पेंशन एवं नौकरी में प्राथमिकता दिये जाने,
16. जनपद देहरादून के त्रिवेणी घाट पर माँ गंगा की धारा लाने की व्यवस्था किये जाने,
17. जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ऋषिकेश में प्रेक्षागृह की स्थापना किये जाने।

22. श्री राजकुमार टुकराल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद ऊधमसिंह नगर में 66 रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के रुद्रपुर नगरीय क्षेत्र के समस्त वार्डों, मलिन बस्तियों में वर्षों से नजूल भूमि व कृषि कार्य वाली भूमि पर आवासीय रूप से निवास कर रहे नागरिकों को उनके स्वामित्व में पट्टे प्रदान कर मालिकाना हक दिये जाने,
2. जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने,
3. जनपद ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग चार की भूमि व अन्य वर्गों, श्रेणियों की भूमि के विवादित मामले निपटाये जाने,
4. जनपद ऊधमसिंह नगर में रुद्रपुर नगर निगम की सीमा का विस्तार किये जाने,

5. जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर सिडकुल क्षेत्र में रोजगार हेतु कॉल सेन्टर खोले जाने,
6. जनपद ऊधमसिंह नगर में 74 राष्ट्रीय राज मार्ग स्थित ग्राम महतोष से नबाबगंज मीरी पीरी खालसा स्कूल तक सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,
7. जनपद ऊधमसिंह नगर में सिडकुल, रुद्रपुर क्षेत्र में बच्चों व आम नागरिकों हेतु आधुनिक पार्क का निर्माण किये जाने,
8. जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में सरकारी इंजीनियरिंग (अभियंत्रण) कॉलेज प्रारम्भ किये जाने,
9. जनपद ऊधमसिंह नगर में रुद्रपुर में तकनीकी शिक्षा हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) प्रारम्भ किये जाने,
10. जनपद ऊधमसिंह नगर में रुद्रपुर नगर के वार्ड न0 02 में शिवनगर से ट्रांजिट कैम्प तक विभिन्न कालोनियों में दो किलोमीटर तक सड़क निर्माण किये जाने,
11. जनपद ऊधमसिंह नगर में रुद्रपुर नगर के वार्ड न0 01 में जगतपुरा व श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर से ट्रांजिट कैम्प तक एक किलोमीटर सड़क का निर्माण किये जाने,
12. जनपद ऊधमसिंह नगर में ग्राम सभा फाजलपुर महरौला के प्रीतिविहार से तराई विहार व लोकविहार से बराड़ कालोनी तक विभिन्न स्थानों पर तीन किलोमीटर सड़क का निर्माण किये जाने,
13. जनपद ऊधमसिंह नगर में सम्पूर्ण 66 रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में 15 से 20 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति दिये जाने,
14. जनपद ऊधमसिंह नगर में ऊधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर नगर में हर समय जाम रहने के कारण रुद्रपुर में यातायात नगर (ट्रांसपोर्ट नगर) शीघ्र बनाये जाने,
15. जनपद ऊधमसिंह नगर में सरकारी जिला चिकित्सालय रुद्रपुर में समस्त विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने,
16. जनपद ऊधमसिंह नगर में रुद्रपुर की मलिन बस्तियों में स्वच्छ पानी के पीने हेतु ओवर हैड टैंक का निर्माण किये जाने।

23. श्रीमती विजय बड़थवाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तराखण्ड में कृषि बागवानी एवं डेरी को व्यवसाय के रूप में विकसित कर एक बृहद कार्य योजना का बजट में प्रावधान किये जाने,
2. प्रदेश में आवास-विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों में आवास बनाये जाने,
3. उत्तराखण्ड के नागरिकों के लिए दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना का बजट में प्रावधान किये जाने,
4. उत्तराखण्ड के लिये चिकित्सा सुरक्षा बीमा योजना बनाने और इसका बजट में प्रावधान किये जाने,
5. उत्तराखण्ड के पहाड़ी ढलान वाले बंजर खेतों में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए स्थानीय युवक युवतियों को प्रोत्साहन देने के लिये ठोस योजना बनाये जाने एवं उसके लिये बजट में प्रावधान किये जाने,
6. प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में उद्योगों को विकसित करने के लिये उद्योगों का ढांचा तैयार कर स्थानीय युवक युवतियों को उद्योगों के माध्यम से रोजगार से जोड़ने के लिये बजट में व्यवस्था किये जाने,
7. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के प्रत्येक ग्राम सभा में वर्षा जल संरक्षण के लिए तालाब बनाये जाने के लिए बजट में प्रावधान किये जाने,
8. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के गहड़ गधेरा एवं थलनदी में झील बनाये जाने के लिये इस वर्ष बजट में प्रावधान किये जाने,
9. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के कांडाखाल क्षेत्र एवं न्याय पंचायत किमसार की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए कांडाखाल एवं किमसार पम्पिंग योजना बनाये जाने के लिए बजट में प्रावधान किये जाने,
10. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के दुगड़डा-जुवा मोटर मार्ग के मध्य खो नदी पर मोटर पुल बनाये जाने के लिये बजट में प्रावधान किये जाने,

11. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के ग्राम डिन्ड के नीचे हिंवल नदी में एक झूला बानाये जाने के लिए बजट में प्रावधान किये जाने,
12. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर नीलकंठ गरुड़चट्टी बाई पास मोटर मार्ग बनाने के लिये बजट में प्रावधान किये जाने,
13. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के रा0इ0 कालेज देवीखाल का भवन निर्माण के बजट में प्रावधान किये जाने,
14. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के फूलचट्टी-कोटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु बजट में प्रावधान किये जाने।

24. श्री हरबंस कपूर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद देहरादून के देहरादून नगर की यातायात समस्या के समाधान हेतु नगरीय क्षेत्र मोनो रेल/मेट्रो ट्रेन चलाई जाने,
2. जनपद देहरादून के देहरादून नगर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु पेयजल आपूर्ति हेतु प्राकृतिक स्रोत (यमुना नदी/सोंग नदी) से पेयजल उपलब्ध कराये जाने,
3. जनपद देहरादून के देहरादून नगरीय क्षेत्र से गुजरने वाली नदियों के किनारे बसे एक लाख से अधिक आबादी को सुरक्षा प्रदान किये जाने, हेतु बिंदाल नदी एवं रिस्पना नदी के दोनों तटों पर पक्की दीवार बनाये जाने,
4. जनपद देहरादून के देहरादून नगर की चरमराती सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किये जाने,
5. प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में शहर की दूध की डेरियों से गोबर उठान की व्यवस्था किये जाने जिससे जो गोबर नालियों में बहाया जा रहा है वे नालियों में न बहे तथा नालियों को गंदगी एवं टूट फूट से बचाये जाने,
6. जनपद देहरादून के देहरादून नगर के प्रत्येक चौराहे और कासिंग पर रोड़ सिग्नल, सड़क पर जेब्रा लाईन सड़कों पर स्पीड इंडिकेटर और आवश्यकता अनुसार गति अवरोधक, सी. सी. कैमरे लगाए जाने, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके और अपराधों पर भी अंकुश लगाये जाने,
7. प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने,

8. प्रदेश में भवनों के ऊपर जाने वाली बिजली की लाईनों को हटाये जाने,
9. प्रदेश की समस्त आवासीय कालोनीवासियों को समस्त नागरिक सुविधायें दिये जाने के लिए इन कालोनियों जो कि वर्तमान में आवास विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन हैं को उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रण में या सम्बन्धित नगर पालिका/ नगर निगम के अधीन लाये जाने,
10. प्रत्येक परिवार को जिनकी मासिक आय रु 20,000/- या उससे कम हो की चिकित्सा सुविधा सरकारी/प्राइवेट चिकित्सालय में मुफ्त उपलब्ध कराई जाने या चिकित्सा पर होने वाले समस्त खर्च सरकार द्वारा वहन किये जाने,
11. प्रत्येक परिवार जिनकी मासिक आय रु. 20,000/- या उससे कम हो को कन्याओं के विवाह हेतु रु0 50,000/- अनुदान दिये जाये,
12. राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार को पांच ट्यूबलाईट वाले सौर ऊर्जा का सेट निःशुल्क दिये जाने,
13. जनपद देहरादून के प्रत्येक नगरीय क्षेत्र को पथ प्रकाश की व्यवस्था सौर ऊर्जा से पोषित किये जाने,
14. ऋषिकेश एवं हरिद्वार से देहरादून तक गंगाजल की पाईप लाईन लगाये जाने,
15. प्रदेश के समस्त नदी घाटों पर सौर ऊर्जा से प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने,
16. जनपद देहरादून के शहरी क्षेत्रों की कालोनियों में स्थित पार्कों का नियन्त्रण एवं रख रखाव सरकार द्वारा किये जाने,
17. जनपद देहरादून के देहरादून में एक सांस्कृतिक केन्द्र जिसमें सभागार, आर्ट गैलरी, रंगमंच, ललित कला केन्द्र हो, स्थापित किये जाने।

25. श्री बिशन सिंह चुफाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों हेतु अलग से बजट की व्यवस्था किये जाने,
2. उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में विद्यालयों, अध्यापकों तथा प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की नियुक्ति हेतु अलग नीति बनाये जाने,
3. जनपद पिथौरागढ़ के कनालीछीना विकास खण्ड में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने,

4. जनपद पिथौरागढ़ के झूलाघाट से कानड़ी तक डामरीकरण किये जाने,
5. जनपद पिथौरागढ़ के मसमौली मोटरमार्ग का डामरीकरण किये जाने,
6. जनपद पिथौरागढ़ के स्वालेख से रैसापटा मार्ग तक डामरीकरण किये जाने,
7. जनपद पिथौरागढ़ के बूंगाछीना से अलगड़ा मोटरमार्ग तक डामरीकरण किये जाने,
8. जनपद पिथौरागढ़ के अस्कोट में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने,
9. जनपद पिथौरागढ़ के बडालू में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने,
10. जनपद पिथौरागढ़ के रा0जू0हा0 स्कूल बलगाड़ी का उच्चीकरण किये जाने तथा राजकीय बालिका इण्टर कालेज डीडीहाट के भवन की चारदीवारी बनाये जाने,
11. जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय बालिका इण्टर कालेज डीडीहाट के भवन की चारदीवारी बनाये जाने,
12. जनपद पिथौरागढ़ की रोतिस नदी में बसौड़ व छबीसा के मध्य झूलापुल का निर्माण किये जाने,
13. जनपद पिथौरागढ़ के बूंगाछीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने,
14. जनपद पिथौरागढ़ के जूनियर हाईस्कूल बूंगाछीना का उच्चीकरण किये जाने,
15. जनपद पिथौरागढ़ में काली नदी में पंत सेरा के पास स्वीकृत झूलापुल का निर्माण किये जाने,
16. जनपद पिथौरागढ़ स्थित थल में टैक्सी स्टैंड की स्थापना किये जाने,
17. जनपद पिथौरागढ़ में रा0उ0मा0वि0 धारा कोची का उच्चीकरण किये जाने,
18. जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ स्थित पिपली में आई0टी0आई स्वीकृत किये जाने,
19. जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ में ध्वज तक रोप वे स्वीकृत किये जाने,
20. जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ में डीडीहाट व कनालीछीना में टैक्सी स्टैंड स्वीकृत किये जाने,

21. जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट तथा कनालीछीना पालिटेक्नीक कालेजों में दो-दो अतिरिक्त विषय (ट्रेड) स्वीकृत किये जाने।